₹ 15

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मई 2012

www.kanti.in



- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : दायित्व एवं सीमाएं
  –मुहम्मद सलीम इंजीनियर
- सौहार्द को पुष्पित करें
  –राम पुनियानी
- भ्रष्टाचार : एक ज्वलंत समस्या
  –रमेश प्रसाद
- शिक्षाधिकार क़ानून भी सर्वशिक्षा अभियान की राह पर
  –मुशर्रफ़ अली

RASHTRIYA TECHNICAL INSTITUTE

An ISO 9001-2008 Certified Institute

देश विदेश में नौकरी हेतू प्रशिक्षण केन्द्र



Quality Controller

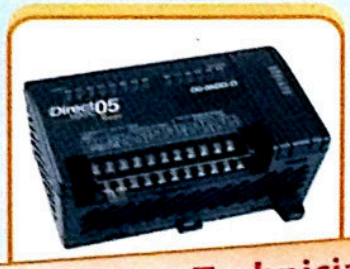

Instrument Technician



Industrial Safety



Excavator Operator



JCB Operator



Mobile Crane

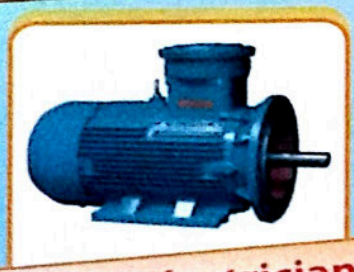

Plant Electrician

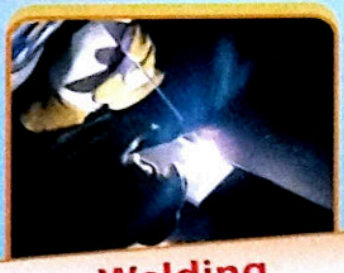

Welding

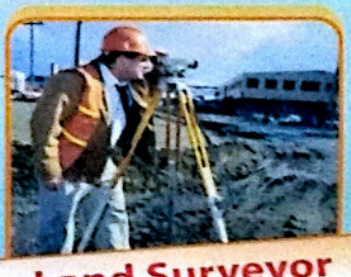

Land Surveyor



Auto Cad & Draftsman



Pipe Fitter & Fabricator



Water Treatment

- Arc 6G Welding
- Tig (Argon) 6G Welding
- Store Keeper
- Forklift Oprt.
- Plant Air Condition
- English Spoken

Note
सभी Course मे English Spoken और Computer की Training मुफ्त दी जा रही है।

Address:- Near Hanuman Mandir, Opst. Gandhi Maidan, Azadnagar, Jamshedpur Jharkhand, Phone- 0657-2364067, 9334858068, 9334617411. www.rtijsr.com

YK+

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 21 अंक 11 मई 2012

हर व्यक्ति का दर्जा उसके कर्म के अनुसार है और तुम्हारा रब लोगों के कर्मों से बेख़बर नहीं है । तुम्हारा निस्पृह है और दयालुता उसकी नीति है । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

फोन–(011)–26949430

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 15/- विशेषांक रु० 25/-

वार्षिक रु० 160/-, दो वर्ष 300/-, पांच वर्ष 700/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–60 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–25 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

जगाता चला चल

स्वयं जाग, जग को जगाता चला चल ।
सखे ! प्रेम के गीत गाता चला चल ।।

जभी जाग जा तू, तभी से सवेरा,
हटा दे हृदय से विकारों का डेरा,
न मन के भवन में बसे अब अंधेरा,
रहे चित्त में नित्य शुभ का बसेरा,

सुमति-ज्योति से तम भगाता चला चल ।
सखे ! प्रेम के गीत गाता चला चल ।।

बहाता चले कर्म की पुण्य धारा,
थहाता चले धर्म का सिंधु सारा,
न करना कभी पुण्य पथ से किनारा,
रहे लोकमंगल तुझे नित्य प्यारा,

सुकृत को हृदय से लगाता चला चल ।
सखे ! प्रेम के गीत गाता चला चल ।।

मनस्वी वही, जो न मन को गंवाता,
वही संत, जो मन-सुमन को खिलाता,
वही है मनुज, जो सहज मान जाता,
वही सिद्ध जो प्रभु के गुन गाता

न जग से स्वयं को ठगाता चला चल ।
सखे ! प्रेम के गीत गाता चला चल ।।

भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'
हिन्दी सहकार संस्थान
362, सिविल लाइंस, उन्नाव (उ०प्र०)



कहां क्या है ?

जगाता चला चल (कविता)	–भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'	3
कुरआन ज्योति		5
शुभ सूचना देना वांछनीय (हदीस मंजरी)		6
उदारवाद के ख़ूनी पंजे (संपादकीय)		7
प्रेरणाप्रद 'कान्ति' (आपके पत्र)		8
नूर-ए-ज़िन्दगी है कुरआन (उद्‌गार)	–कर्नल सतीश वर्मा	11
इस्लाम में पड़ोसी के अधिकार (आस्था)	–लाला काशीराम चावला	13
इस्लाम और ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक	–मुहम्मद कुत्ब	17
कष्ट निवारण (कहानी)	–अनु॰ : घनश्याम रंजन	21
निर्दोषों की गिरफ़्तारी व रिहाई	–संपादन प्रभाग	25
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : दायित्व एवं सीमाएं	–मुहम्मद सलीम इंजीनियर	26-27
सौहार्द को पुष्पित करें	–राम पुनियानी	29
अनिल कुमार प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित	–संपादन प्रभाग	31
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	–कल्याणी कुमारी	33
साहित्य समाचार		36
दोहे	–डॉ॰ रामनिवास 'मानव'	36
भ्रष्टाचार : एक ज्वलंत समस्या	–रमेश प्रसाद	37
शिक्षाधिकार क़ानून भी सर्वशिक्षा अभियान की राह पर	–मुशर्रफ़ अली	39
अन्य देशों में सूचना का अधिकार	–अफ़रोज़ आलम 'साहिल'	43
वाहनों से बढ़ रहा है ख़तरनाक प्रदूषण	–विद्या प्रकाश	48
सोहन चिड़िया (बालवीथी)		49

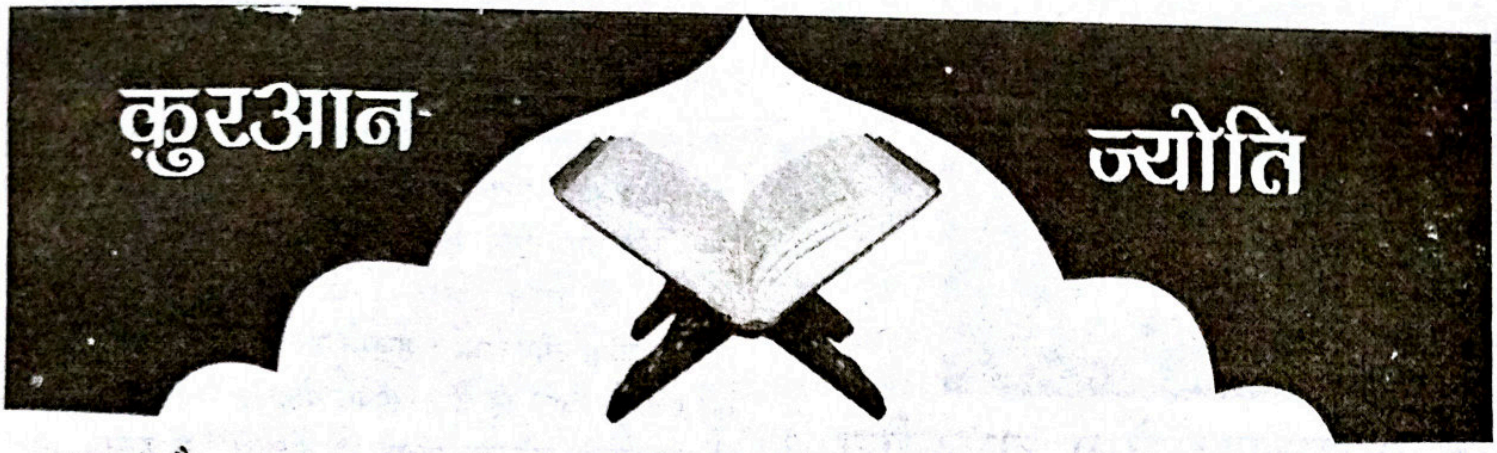

(58) और अगर कभी तुम्हें किसी क़ौम से ख़ियानत का भय हो तो उसके समझौते को खुल्लम-खुल्ला उसके आगे फेंक दो ।[43] निश्चय ही अल्लाह ख़ियानत करने वालों को प्रिय नहीं रखता । (59) सत्य के इन्कारी इस भ्रम में न रहें कि वे बाज़ी ले गये, निश्चय ही वे हमको हरा नहीं सकते ।

(60) और तुम लोग, जहां तक तुम्हारा बस चले, अधिक से अधिक शक्ति और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुक़ाबले के लिए जुटाये रखो[44], ताकि उसके द्वारा अल्लाह के और अपने शत्रुओं को और उन दूसरे दुश्मनों को भयभीत कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते, मगर अल्लाह जानता है ।

–क़ुरआन, 8 : 58-60

43. इस आयत के अनुसार हमारे लिए यह किसी तरह भी उचित नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति या गिरोह या देश से हमारा समझौता हो और हमें उसकी रीति-नीति से यह शिकायत पैदा हो जाए कि वह वचन के पालन में कोताही कर रहा है या यह आशंका पैदा हो जाए कि वह अवसर पाते ही हमारे साथ विद्रोह कर बैठेगा, तो हम अपनी जगह स्वयं निर्णय ले लें कि हमारे और उसके बीच समझौता नहीं रहा और अचानक उसके साथ वह नीति अपनाना शुरू कर दें जो समझौता न होने के रूप में अपनायी जा सकती हो । इसके विपरीत हमें इस बात का पाबंद किया गया है कि जब ऐसी स्थिति सामने आये तो हम कोई विरोधपूर्ण कार्रवाई करने से पहले दूसरे फ़रीक़ को साफ़-साफ़ ख़बरदार कर दें कि हमारे और तुम्हारे बीच अब समझौता बाक़ी नहीं है, क्योंकि तुम वचन भंग कर रहे हो ।

हां, अगर दूसरा फ़रीक़ खुल्लम-खुल्ला समझौता भंग कर चुका हो और उसने स्पष्ट रूप से हमारे विरुद्ध द्वेषपूर्ण कार्रवाई की हो तो ऐसी स्थिति में यह ज़रूरी नहीं रहता कि हम उस उपरोक्त आयत के अनुसार समझौता भंग होने का नोटिस दें, बल्कि हमें उसके विरुद्ध बिना सूचना सामरिक कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है । इस्लामी धर्मशास्त्रियों ने यह अपवाद नबी (सल्ल॰) के उस कार्य से निकाला है कि क़ुरैश ने जब नबी ख़ुज़ाआ के मामले में हुदैबिया की संधि को खुल्लम-खुल्ला भंग कर दिया तो आपने फिर उन्हें समझौता भंग का नोटिस देने की कोई ज़रूरत न समझी, बल्कि बिना सूचना मक्का पर चढ़ाई कर दी ।

44. अर्थ यह है कि तुम्हारे पास युद्ध-सामग्री और एक स्थायी सेना हर समय तैयार रहनी चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल फ़ौजी कार्रवाई कर सको । यह न हो कि ख़तरा सर पर आने के बाद घबराहट में जल्दी-जल्दी स्वयंसेवक, अस्त्र और रसद-सामग्री इकट्ठा करने की कोशिश की जाए और इस बीच यह तैयारी पूरी हो, दुश्मन अपना काम कर जाए ।



शुभ--सूचना देना वांछनीय

● हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी (रज़ि॰) से रिवायत है कि उन्होंने अपने घर में वुज़ू किया । फिर बाहर निकले और कहा : आज मैं सारा दिन अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ रहूंगा । फिर वे मस्जिद पहुंचे और नबी (सल्ल॰) के बारे में पूछा । सहाबा (रज़ि॰) ने कहा कि इस तरफ़ गये हैं । वे कहते हैं कि मैं आपके पीछे-पीछे हो लिया । लोगों से आपके बारे में पूछता जाता था यहां तक कि आप अरीस के कुएं पर पहुंच गये । मैं दरवाज़े के पास बैठ गया यहां तक कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) अपनी ज़रूरत से निवृत्त हुए और वुज़ू किया । मैं उठकर आपकी तरफ़ गया तो क्या देखता हूं कि आप अरीस के कुएं पर उसके मुंडेर के बीच बैठे हैं । आपने अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटाया और उन्हें कुएं में लटका दिया । मैंने आपको सलाम किया, फिर लौट आया और दरवाज़े पर बैठ गया । और (मन में) कहा : आज मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का दरबान बनूंगा । इतने में हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) आये और उन्होंने दरवाज़े पर दस्तक दी । मैंने कहा : यह कौन है ? उन्होंने कहा : अबू बक्र । मैंने कहा : ठहरिए । फिर मैं आपके पास गया और कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) हज़रत अबू बक्र अन्दर आने की इजाज़त चाह रहे हैं । आपने कहा : "उन्हें इजाज़त दे दो और जन्नत की ख़ुशख़बरी भी दे दो ।" मैं आया और हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) से कहा : अन्दर आ जाइए । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) आपको जन्नत की ख़ुशख़बरी देते हैं । हज़रत अबू बक्र (रज़ि॰) अन्दर दाख़िल हुए और नबी (सल्ल॰) की दाहिनी ओर मुंडेर (जगत) पर बैठ गये, और उन्होंने भी अपने पैर उसी तरह कुएं में लटका लिये जैसे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने लटका रखे थे । और अपनी पिंडलियों से कपड़ा हटा लिया । फिर मैं वापस आ गया और बैठ गया । मैं अपने भाई को वुज़ू करता छोड़ आया था कि बाद में मुझसे आ मिलेगा । मैंने कहा : यदि अल्लाह ने फलां के लिए--मेरा अभिप्राय अपने भाई से था--भलाई चाही, तो उसे ले आएगा । सहसा किसी व्यक्ति ने दरवाज़े को हिलाया । मैंने कहा : यह कौन है ? उसने कहा कि उमर बिन ख़त्ताब । मैंने कहा : ठहरिए । मैं अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के पास पहुंचा । आपको सलाम किया और कहा : हज़रत उमर (रज़ि॰) अन्दर आने की इजाज़त चाह रहे हैं । आपने कहा : "उन्हें इजाज़त दे दो और जन्नत की ख़ुशख़बरी भी दे दो ।" मैं हज़रत उमर (रज़ि॰) के पास आया और कहा : अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने आपको अन्दर आने की इजाज़त दी है और जन्नत की ख़ुशख़बरी भी दी है । वे भीतर गये और अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) के साथ आपकी बायीं ओर मुंडेर पर बैठ गये और अपने पैर कुएं में लटका लिये । फिर मैं वापस आया और बैठ गया । और (मन में) कहा : यदि अल्लाह ने फलां के साथ भलाई चाही--अर्थात मेरे भाई के साथ--तो उसे ले आएगा । फिर कोई व्यक्ति आया और उसने दरवाज़े को हिलाया । मैंने कहा : यह कौन है ? उसने कहा : उस्मान बिन अफ़्फ़ान । मैंने कहा : ठहरिए । और मैं नबी (सल्ल॰) के पास गया और आपको उनकी ख़बर दी । आपने कहा : "उन्हें इजाज़त दे दो और जन्नत की ख़ुशख़बरी भी दे दो एक ऐसी मुसीबत के साथ जो उन पर आएगी ।" मैं आया और मैंने कहा : अन्दर आ जाइए । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) आपको जन्नत की ख़ुशख़बरी देते हैं एक ऐसी मुसीबत के साथ जो आप पर आएगी । वे भीतर गये तो देखा कि मुंडेर भर चुकी है । अत: वे दूसरी तरफ़ इन (महान व्यक्तियों) के सामने बैठ गये । हज़रत सईद बिन मुसैइब कहते हैं कि मैंने इसका अर्थ यह समझा है कि इनकी क़ब्रें इसी तरह (क़रीब या दूर) होंगी ।--बुख़ारी, मुस्लिम

एक रिवायत में ये शब्द और हैं : मुझे अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने दरबानी का हुक्म दिया । उस रिवायत में यह भी है : हज़रत उस्मान (रज़ि॰) ने जब ख़ुशख़बरी सुनी, तो (कृतज्ञता प्रकाशन हेतु) अल्लाह तआला की प्रशंसा की और फिर कहा : अल्लाह ही मददगार है ।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय
हिन्दी वेबसाइटें
www.quranhindi.com
www.islamdharma.org
www.islamicwebdunia.com
www.islamic-videos.com

उदारवाद के ख़ूनी पंजे

हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं इतनी अधिक बढ़ गयी हैं कि भारत विश्व का ऐसा प्रथम देश बन गया है, जहां पर सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें होती हैं । इनमें अधिकतर दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं 'रोड रेज़' के कारण होती हैं । देखा जाता है कि लोग छोटी-छोटी चीज़ों के कारण आत्मनियंत्रण खो देते हैं और एक-दूसरे की जान तक ले लेते हैं । इस प्रकार की घटनाएं आये दिन प्रकाश में आती रहती हैं । अभी पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में कार से आटोरिक्शा की मामूली-सी टक्कर के कारण कार में बैठे चार युवकों ने आटोरिक्शा चालक की पीट-पीटकर जान ले ली । इसी दिन लखनऊ में एक जीप चालक ने गुस्से में आकर एक कार चालक पर अपनी जीप चढ़ाकर उसे मार डाला । ये घटनाएं धन-बल, पहुंच-रसूख़ से उत्पन्न दंभ, घमंड और अहंकार को प्रदर्शित करती ही हैं, मनुष्य के मानसिक एकरुख़ेपन को भी प्रकट करती हैं । वह मानसिक संतुलन खोकर गुस्से के अधीन हो जाता है और पाशविक कृत्यों में लिप्त हो जाता है ।

भारत पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के चलते भारतीय समाज में जो विकार आया था, उनको दूर करने का ठोस और गंभीर प्रयास तो हो नहीं पाया । इसी बीच आर्थिक उदारीकरण की आंधी चली । दुर्भाग्य से भारत ने इसके स्वागत में अपना विशाल मुक्ताकाश खोल दिया । देश के तत्कालीन वित्त मंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह ने उदारीकरण को मुक्तकंठ से सराहते हुए इसे देश की उन्नति के लिए आवश्यक एवं अपरिहार्य ठहराया, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, इसके कुपरिणाम भी शनैःशनैः विस्तार पाते गये । बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने देश पर क़ब्ज़ा कर लिया और स्वदेशी उद्योग-धंधे एवं व्यवसाय ढप पड़ गये । हमारे देश में आज बहुत-से स्वदेशी उद्योग या तो बन्द हो गये हैं या उन्हें विदेशी कंपनियों की बुरी नज़र लगी हुई है । हां, इसका क्षणिक लाभ उन थोड़े-से लोगों को हुआ है, जिनके पास कुछ नगरों-महानगरों के आस-पास भू-संपत्ति थी । विदेशी कंपनियों या अन्यों के हाथ इन्हें बेचने से उतना धन इन भू-धारकों को प्राप्त हुआ, जिसकी इन्होंने कल्पना तक नहीं की थी । अब ये इस स्थिति में पहुंच गये कि विदेशी उत्पाद बड़ी धनराशि देकर ख़रीदने लगे । इनमें एक बहुल मांग कर की है, जो नवधनाढ्यों की शान बन गयी । धन की बहुतायत ने नैतिक रूप से खोखला हो चुके 'मनुष्य' ने जब इसका आस्वादन किया, तो घमंड और अहंकार से भर उठा । इससे पहले से भारतीय समाज में मौजूद मध्यवर्गीय दर्प और अहंकार को विस्तार मिला ।

आज हमारे देश की कुछ ऐसी ही तस्वीर बन चुकी है । धन की बहुतायत ने भक्ष्य, अभक्ष्य, हलाल और हराम का अन्तर ही मिटा दिया है, जिसके कारण भी भारतीय समाज में अनेक संकट और नैतिक बिगाड़ व विकार पैदा हो चुके हैं । नवयुवक शराब पीने के आंदी होते जा रहे हैं । इनमें दंभ और अहंकार इतना गहरा पैठ चुका है कि स्वच्छंदता और अश्लीलता की हदें पार कर रहे हैं । इसकी गवाह देश की सड़कें भी हैं, जो इनके द्वारा वाहनों की अराजक ड्राइविंग और 'रोड रेज़' के कारण लाल होती रहती हैं । भारत सरकार ने वाहन-चालन के सिलसिले में अपराधों के लिए दंड भी निर्धारित कर रखा है । अब तो सरकार ने दंड-राशि में भारी वृद्धि कर दी है, लेकिन सड़क-दुर्घटनाएं और 'रोड रेज़' की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं । वास्तव में इस दुखद और चिंतनीय स्थिति का हल दंड-राशि में वृद्धि ही नहीं है, बल्कि मोटर अधिनियमों को कड़ाई के साथ लागू करने के साथ ही मानवीय जीवन के उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार को भी गंभीर होना चाहिए और समाज पर प्रभाव रखने वाली संस्थाओं एवं शख़्सियतों को भी अपनी प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए । इस सिलसिले में इस्लामी शिक्षाएं एक उत्तम 'रोल मॉडल' बन सकती हैं, जिनके सदुपयोग में ही मानव का वास्तविक कल्याण निहित है ।

प्रेरणाप्रद 'कान्ति'

बड़ी लंबी और बहुत उत्सुकतापूर्ण प्रतीक्षा के पश्चात आपके द्वारा पूरी उदारता से प्रेषित प्रतिष्ठित 'कान्ति' पत्रिका का नवीनांक मार्च 12 प्राप्त हुआ । विशेष प्रसन्नता हुई। हार्दिक धन्यवाद ।

मनमोहक प्राकृतिक दृश्यावली से सुसज्जित मुखपृष्ठ और बड़े प्रभावशाली, अन्वेषणपूर्ण एवं प्रेरक आलेखों से परिपूर्ण 'कान्ति' का यह अंक निस्संदेह सराहनीय , संग्रहणीय एवं चिरस्मरणीम एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ का अद्‌भुत रूप लेकर आया है । जिसके लिए आपका कुशल और अनुभवपूर्ण सम्पादन प्रसंशनीय है ।

'कान्ति' के संदर्भाधीन अंक के पृष्ठ 35 पर प्रकाशित आशा शैली हिमाचली की कहानी ''भास्कर बहादुर'' बड़ी पसन्द आयी । शैली ने अपनी शैली में आत्मकथात्मक भावना रूप से जो रोचक बात कही है वह वास्तव में मेरे दिल को छू गयी । अपनी असफलता से घबरा कर एक अबोध बालक जब घर से भाग कर उसके पास पहुंच गया तो उसने मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए उसे सही दिशा देकर सकुशल उसके घर पहुंचा दिया। आज की स्वार्थपूर्ण और भागदौड़ भरी जीवनशैली मे ऐसी परोपकार की भावना दुर्लभ है जो अपनी राह से भटके हुए को समुचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके ।

संदर्भित 'कान्ति' के ही इस अंक के पृष्ठ 45 पर प्रकाशित रूपा मंगलानी का आलेख–सूचना का अधिकार–बड़ा अन्वेषणापूर्ण और संबंधित अधिकारियों की आंखें खोल देने का काम करने वाला प्रेरणाप्रद है। आपने दूसरे लेखकों की भांति इन रचनाकारों से संपर्क का पता भी नहीं दिया । इनकी लोकोपयोगी कृतियों के लिए मुझे अपनी निजी ज़िन्दगी की 78 वर्षीय ढलती वृद्धावस्था कि इस संध्याकाल में उन्हें उनके इस सराहनीय लेखन के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का मूल्यावान अवसर प्राप्त हो जाता । पारस्परिक वैचारिक आदान-प्रदान करने और संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यदि आप 'कान्ति' के सभी लेखकों का पूरा पता साथ ही दे दिया करें तो स्वाभाविक रूप से यह प्रवृत्ति 'कान्ति' की लोकप्रियता में वृद्धि करने में बड़ी सहायत होगी ।

पंडित बी०एन० मुदगिल

प्रेस सदन, गद्दी खेड़ी, रोहतक, हरियाणा–124001

प्रेरणादायक

'कान्ति' का मार्च 2012 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! आपके संपादकीय में आपका चिंतन झलक रहा है । सत्ता में अपने हित कुछ और दूसरें के हित कुछ और की नीति हर हाल में आत्मघाती है । इस अंक में संकलित सामग्री रोचक के साथ-साथ प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक भी है । 'कान्ति' का यह अंक पढ़ने में आनन्द आ रहा है । 'ऑलराउंड' पत्रिका का मार्च अंक प्रेस में प्रकाशित होते ही आपको भेज दूंगा । ऐसे सुन्दर संपादन के लिए बधाई स्वीकार करें ।

अमित कुमार लाडी

फ़रीदकोट (पंजाब)

जघन्य अपराध

मासिक पत्रिका का फ़रवरी अंक 2012 हस्तगत हुआ। ओद्योपांत पढ़ा ।

कन्या भ्रूण हत्या पर आपकी संपादकीय टिप्पणी एकदम सटीक है । समाज में महिलाएं घृणित व अश्लीलता की दृष्टि से देखी जा रही हैं । कन्या भ्रूण हत्या इसका ज्वलंत उदाहरण है । कोख में ही हत्या की जा रही है । अजन्मी बेटियों की । क़ानून बनने के बावजूद भी लोग ये घृणित कार्य कर रहे हैं । आपकी कविताएं अच्छी लगी । मुंशी प्रेमचन्द जी की कहानी 'मोटर के छींटे' भी अच्छी लगी । पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख सारगर्भित लगे ।

लघुकथा 'मानवता' सचमुच महान लगी । झगड़े और क्लेश से बचने के लिए मां का उचित व अनुचित दूध में पानी मिलाने वाली बहु का पक्ष लेना मां की महानता दर्शाती है । दूसरी कहानी 'पटाखा' पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के संबंधों पर लोगों की राय ज़ाहिर करती है । कुल मिलाकर दोनों अंक सर्वश्रेष्ठ अंक लगे । लेखकों को साधुवाद ।

सुरेन्द्र कुमार 'अंशुल'

1400/9, अर्बन एस्टेट अंबाला शहर–134003

आदमी बेईमान क्यों बनता है?

आज के वातावरण में धार्मिक कार्य एक से बढ़कर एक हो रहे हैं और पहले से ज़्यादा साधु-संत, महात्मा, त्यागी लोगों का हुजूम भी कम नहीं, फिर भी लोगों को बेईमान होने पर मजबूर होना पड़ता है । आख़िर इसका-कारण क्या है ?

देखा जाए तो हमारी सरकार की नीतियां ही इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि उसके कारण ही हमारा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण नहीं हो रहा क्योंकि इस समय क़रीब 62 तरह के करों से लोगों को गुज़रना होता है । कर दरें भी इतनी भारी होती हैं कि उसे बचाने हेतु बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है । भले ही आदमी कितना ही धार्मिक हो, वह ईमानदार रह ही नहीं सकता । ऐसे में जब तक हमारी सरकार करों की संख्या कम नहीं करेगी तब तक कर चोरी भी बराबर चलती रहेगी । इसलिए लोग इसका प्रायश्चित दान-पुण्य करके उसे कुछ हल्का करने का उपाय करते हैं । लेकिन हमारा राष्ट्रीय चरित्र तो दिन प्रति दिन रसातल में जाने को विवश हो रहा है और इसीलिए बड़े-बड़े घोटाले भी बड़े-बड़े लोग और चरित्र निर्माणकर्ताओं द्वारा किये जा रहे हैं जिसे रोकने, सुधारने की ज़रूरत है ।

घेवरचन्द गोदीका

जयपुर, राजस्थान

उर्दू की मिठास

'कान्ति' मार्च 12 पढ़ने का अवसर मिला । निश्चय ही उर्दू एक मिठास से ओतप्रोत प्रवाहभरी व प्रभावकारी भाषा है । एक समूह विशेष की भाषा यह कदापि नहीं हो सकती । आम बोलचाल की जो भाषा हम प्रयोग में लाते हैं उनमें तो अधिकांशत: शब्द उर्दू के ही होते हैं । हिन्दी के तत्सम शब्दों का प्रयोग यदि रोज़मर्रा की भाषा में करना आरंभ कर दिया जाए तो संवाद अतिशय कठिन हो जाएगा । आवश्यकता है उर्दू के प्रसार की । अनिवार्य विषय के रूप में उर्दू का पठन-पाठन होना चाहिए ।

अभिराम सत्यज्ञ जयशील

हथुआ-841436

सार्थक

आपके द्वारा प्रेषित 'कान्ति' का अंक (मार्च 2012) मिला । सादर हार्दिक शतशत धन्यवाद, आपका संपादकीय समीचीन सार्थकता तथा सराहनीय है । अंक के आलेखों के पढ़ने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि आप इस पत्रिका के ज़रिये सभ्यता का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं । यह सराहनीय है । कोई धर्म बुरा नहीं उसके अनुयायियों में कुछ बुरे हो सकते हैं क्योंकि सभी धर्मों में सिद्ध पुरुष हो गये हैं जिसका मज़ार और समाधि आज भी मौजूद है । इस तरह तो कम्युनिस्ट धर्म को अफ़ीम मानते हैं । शुभमंगल कामनाओं के साथ ।

जनार्दन पाण्डेय विप्र

बैठनिया, पो॰ : मठियावृत, प॰ चम्पारण (बिहार)

प्रेम-पात्र ईश्वर

'कान्ति' मासिक पत्रिका का मार्च 2012 अंक का अध्ययन किया । 'हमारा वास्तविक प्रेम-पात्र कौन' पढ़ा । वास्तव में यह सत्य है कि ईमान यह है कि ईश्वर को अपना प्रेम-पात्र बनाया जाए ।

पॉप स्टार केट स्टीवन (अब यूसुफ़ इस्लाम) ने इस्लाम क़बूल किया, इसके लिए उन्हें बधाई । 'भास्कर बहादुर' कहानी दिलचस्प थी । 'दरवेश' भारती की ग़ज़ल दिल को छू गयी ।

इस्लाम में पवित्र कमाई के महत्व के बारे में पढ़ा । हलाल कमाई में बरकत होती है, अत: सभी को हलाल कमाई के लिए ही कोशिश करनी चाहिए, इससे दिल को भी सुकून मिलता है । मौलाना मुहम्मद अली जौहर के बारे में पढ़कर अच्छा लगा । वे मूलरूप से भारतीय मुस्लिम थे ।

आयोडीन युक्त नमक के कई दुष्परिणाम सामने आये हैं । इसके कारण स्त्री-पुरुषों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं । आयोडीन नमक में मिलाए जाने वाले पोटेशियम आयोडेट और ई-536 दोनों ही अधिक मात्रा में शरीर के लिए नुक़सानदेह हैं ।

अबरार अहमद (लाखेरी वाले)

म॰न॰-554, गली नं॰-03, जे॰पी॰ कॉलोनी, रंगपुर रोड,

ज़िला-कोटा, राजस्थान-324002

सच्चाई की प्रेरणा

'कान्ति' का मार्च 2012 अंक पढ़ा । संपादकीय अच्छा लगा, इसमें प्रकाशित सभी रचनाकारों की रचनाएं व आलेख अच्छे लगे । 'सद्भावना के प्रतीक मौलाना मुहम्मद अली जौहर' शीर्षक लेख काफ़ी सुन्दर और ख़ूबसूरत है । 'परलोक की वास्तविकता' (डॉ॰ मुहम्मद अहमद) लेख

सत्यता को दर्शाता है ।

कुल मिलाकर पत्रिका में बहस विवशता, खुशहाली और कड़ुवी सच्चाई को उकेरती है । आने वाले समय में पत्रिका 'कान्ति' उद्देश्यपूर्ण हो, जिसे पढ़ा और समझा जा सके । आपका प्रयास सराहनीय है । बधाई !

डॉ॰ प्रेमसिंह चेतन

श्रीरंग सोसायटी रूम नं॰ 14, श्रीगणेश नगर पंचकुटीर पवई, मुंबई-400076

प्रशंसनीय

'कान्ति' का फ़रवरी 2012 अंक मिला । स्नेह के लिए हार्दिक आभार । कन्या भ्रूण हत्या पर केन्द्रित संपादकीय में समसामयिक समस्या की गहन पड़ताल की गयी है । ''कुरआन ज्योति'' शीर्षक स्तंभ में कुरआन की सरल व्याख्या के द्वारा इसके पावन संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय व स्तुत्य है । ''सामाजिक मर्यादाएं, व्यवहार एवं इस्लाम'' शीर्षक आलेख अत्यंत शोधपरक है । इसमें विद्वान लेखक ने इस्लाम की सरल व्याख्या के द्वारा मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है । वास्तव में मानव धर्म की सभी धर्मों से ऊपर, सभी धर्मों का सार है ।

डॉ॰ वीरेन्द्र परमार

109/5, एन॰एच॰ 4, फ़रीदाबाद (हरियाणा)

नये शब्द जाने

'कान्ति' के माध्यम से (1) नये शब्द जाने (2) विश्व का इतिहास जाना (3) इस्लाम को सच्चाई से प्यार करने का मौक़ा मिला (4) और चाहत पैदा हुई ।

अम्बु शर्मा

205, एस॰के॰ देव रोड, कोलकाता-48

उपयोगी सामग्री

'कान्ति' का फ़रवरी 2012 अंक मिला, धन्यवाद ! पत्रिका संभवत: पहली बार देखने मिली है । अच्छी लगी । लघुकथाएं भी अच्छी हैं । कुरआन से जुड़ी बातों की अधिकता खलती नहीं है ।

आम पाठकों के लिए अधिकाधिक उपयोगी सामग्री देना अच्छी पत्रिका की विशेषता है ।

अंकुश्री

सी/204, लोअर हिनू, रांची-834002

समस्त मानवजाति के कल्याण की भावना

'कान्ति' पत्रिका का जनवरी 2012 का प्रेरणादायी अंक प्राप्त हुआ । इस कृपा के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं । 'कान्ति' पत्रिका परिवार के सभी प्रेरणा स्रोतों, शुभ चिंतकों, मार्गदर्शकों एवं सदस्यों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां ।

'कान्ति' पत्रिका के माध्यम से समस्त मानवजाति के कल्याण की भावना से किये जा रहे प्रयास सराहनीय ही नहीं अनुकरणीय है आपका उद्घोष भारतीय संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुम्बकम एवं सर्वे हिताय सर्वे सुखाय के अनुकूल है ।

डॉ॰ जगदीश गांधी

संस्थापक-प्रबंधक, सिटी मांटेसरी स्कूल, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ (उ॰प्र॰)

बदले मानसिकता

फ़रवरी अंक में छपी लघुकथा 'पटाखा' भारत और पाकिस्तान के आज के हालात को जगज़ाहिर करती है ।

भारत की जीत पर अगर मुसलमान ख़ुशी मनाएं, तो उसके इस ख़ुशी में अन्य लोगों को शक होता है । यह मानसिकता बदलनी चाहिए ।

मुहम्मद अफ़ज़ल

हज़ारीबाग़ (झारखंड)

ज़िन्दगी

ज़िन्दगी में पतझड़ है, तो मधुमास भी है,
ज़िन्दगी में क्रन्दन है तो परिहास भी है,

ज़िन्दगी में अंधकार है तो प्रकाश भी है,
ज़िन्दगी में रूदन है तो हास भी है,

ज़िन्दगी में पतन है तो विकास भी है,
ज़िन्दगी में ग़म है तो अट्टाहास भी है,

ज़िन्दगी में यौवन है तो विनाश भी है,
ज़िन्दगी में दुख है तो विलास भी है,

ज़िन्दगी में सृजन है तो नाश भी है,
ज़िन्दगी में दुख-सुख अभिलाष हास है,
ज़िन्दगी क्षण मैगुर है, शाश्वत नहीं है ।

जनार्दन पाण्डेय विप्र

बैठनिया पो॰ मठियावृत, प॰ चम्पारण (बिहार)

नूर-ए-ज़िन्दगी है क़ुरआन

❖ कर्नल सतीश वर्मा

ग़लतफ़हमियां अनेक होती हैं, पर पढ़े-लिखे इन्सान का फ़र्ज़ बनता है कि सच्चाई तलाशे तथा समझ और ज्ञान को समझे । मुश्किल इस बात की है कि आज का सभ्य इन्सान खोजी कम है और अफ़वाहों पर अपने विचार बनाकर ख़ुद को ज्ञानी समझने लगता है ।

इस्लाम के अध्ययन के साथ भी यह समस्या है । उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अन्य धर्मों से अलग कुरआन बार-बार दोहराता है कि अंधकार तथा सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास को छोड़कर सच्चाई को देखो-समझो और सत्य को जीवन में अमल में लाओ ।

यह हमेशा ध्यान में रखिए कि इस्लाम 'धर्म' के पारिभाषिक अर्थ का नाम नहीं है सरल शब्दों में कहें कि इस्लाम एक जीवन पद्धति (आदर्श) है जो हमें सीधा, सच्चा, निर्भीक, कर्तव्यपरायण आदर्श नागरिक बनाकर ईश्वर की कृपा या अनुग्रह के योग्य बनाकर सफल जीवन जीने का मौक़ा देता है ।

ख़ुदा अपने रसूल, नबी के मारफ़त कुरआन में यह उद्‌बोधन दोहराता है कि क्या तुम्हारे आंखें नहीं है जो चारों तरफ़ फैली दुनिया में हज़ारों मिसाल व इतिहास की घटनाएं हैं, जहां सच्चाई बयां हो रही है, फिर तुम्हें क्या सबूत चाहिए-तुम क्यों नहीं सत्य पर चलते । कुरआन का मूल संदेश है, उठो जागो, प्रेम, सत्यता और एक ख़ुदा को मानो। किसी को उसका साझी मत ठहराओ । किसी पुरानी फ़िल्म का एक मशहूर गाना है कि "तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, सीने से लगा लूंगा तो मुस्कां न सकेगी ।" अगर हम इसके भाव को समझ कर ईश्वर के नाम पर चल रही मूर्ति पूजा को देखें तो सच्चाई सामने आ जाती है । कुरआन भी यही कहता है कि ये मूर्तियां कोई बचाव नहीं कर सकेंगी । मांगना है तो केवल ख़ुदा से ही मांगो, जो बहुत रहम वाला, सुनने वाला तथा क्षमा करने वाला है । पूरे कुरआन में यह शिक्षा बार-बार आयी है ।

इस आधार को दृष्टि में रखकर हमें थोड़ा प्रयास कर कुरआन को समझना चाहिए । यह हमेशा ध्यान में रखिए कि इस्लाम 'धर्म' के पारिभाषिक अर्थ का नाम नहीं है सरल शब्दों में कहें कि इस्लाम एक जीवन पद्धति (आदर्श) है जो हमें सीधा, सच्चा, निर्भीक, कर्तव्यपरायण आदर्श नागरिक बनाकर ईश्वर की कृपा या अनुग्रह के योग्य बनाकर सफल जीवन जीने का मौक़ा देता है । क़ानून और फ़िलासफ़ी की पुस्तक नहीं, बल्कि ख़ुदा का पैग़ाम है जो इन्सान से प्यार के कारण, उसे शैतान और दोज़ख़ से बचाकर आनन्द से भरपूर जीवन जीने का अवसर देता है ।

अब हम थोड़ा कुरआन के विषयों की संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं ।

कुरआन में कुल 114 सूरतें (अध्याय) हैं, जिन्हें ज्ञान व ध्यान से पढ़ना चाहिए। कुरआन की सूरतों को पठन की दृष्टि से सात मंज़िलों (प्रवर्गों) में विभक्त किया जाता है । सूरह अल-फ़ातिहा से सूरह अल-माइदा तक पहला प्रवर्ग है, जिसमें चमत्कारिक है कि वैसे लगता है एक ही बात दोहराई जा रही है जबकि छिपा भाव ध्यान से पढ़ने पर प्रकट होता है । पहली सूरह में एक ख़ुदा व आख़िरत (परलोक) तथा नबी की रिसालत का ज़िक्र मिलता है तथा सूरह पांच (अल-माइदा) तक हमें जीवन की कुछ समस्याओं और उन पर ख़ुदा द्वारा मार्गदर्शन मिलता है ।

सूरह आले इमरान में आज्ञापालन तथा सूरह अन-निसा में नारियों के अधिकार और कर्तव्य का ज़िक्र विस्तार से दिया है । वास्तव में पूरे जीवन का सार तथा नारियों के अधिकार, उनके सामाजिक मूल्य व महत्व पर ज़ोर देकर, आज के आदर्श समाज व आदर्श संहिता का ज़िक्र या कहें

सामाजिक नियभावली दी गयी है ताकि दुनिया में आदर्श समाज बनकर अमनचैन क़ायम हो । कुरआन स्त्रियों के अधिकार और अनाथों की रक्षा पर ज़ोर देता है । मनुस्मृति, नारदीय मनुसंहिता या याज्ञय वलक्य संहिता जैसी हिन्दू धर्म की समय-समय पर मुनियों द्वारा समाज के लिए दी गयी आचार संहिताओं में कुरआन ही एक ऐसी आचार संहिता है, जो सर्वकालीन तथा सार्वजनीन है ।

आश्चर्य है कि लंदन की ''लिंकन इन'' जैसे विश्वविख्यात क़ानून के कॉलेज के प्रमुख द्वार पर विश्व के प्रसिद्ध क़ानून वेत्ताओं के नाम लिखे हैं जिनमें नबी हज़रत मुहम्मद साहब का नाम सबसे ऊपर लिखा है । सूरह अल-माइदा का विषय शरीअत की पूरी पाबन्दी तथा तहज़ीब है ।

सूरह अल-अनआम (6) से लेकर सूरह 9 अत-तौबा तक दूसरे प्रवर्ग की सूरह है जो तौहीद तथा एकेश्वरवाद है । सूरह 10 सूरह यूनुस से सूरह 24-अन-नूर तक तीसरा प्रवर्ग है जिसमें विभिन्न पैग़म्बरों के बारे में भी बातें हैं। नबी (सल्ल॰) को बताया गया है कि तुम केवल संदेशवाहक हो । ईमान वालों को विजय का शुभ संदेश दिया गया है ।

तीसरे प्रवर्ग में सूरह 10 यूनुस से लेकर 24 वीं सूरह-अन नूर आती है जिसमें सब्र तथा ईशपरायणता के साथ तौहीद पर शिक्षाएं हैं । प्रवर्ग में तौहीद के लिए आंतरिक त्याग और हिजरत के लिए प्रस्तुत किया गया है ।

सूरह 25 अल फ़ुरक़ान से लेकर 33 सूरह अल अहज़ाब तक चौथा प्रवर्ग है जिसमें अल्लाह की रहमत तथा मेहरबानियों पर विस्तृत वर्णन किया है तथा तक़वा (ईशपरायणता) पर ज़ोर दिया है ।

34वीं सूरह सबा से 49वीं सूरह अल हुजुरात तक पांयवां प्रवर्ग है, जिसमें तौहीद तथा क़ियामत की पुष्टि की गयी है तथा आदर्श जीवन पद्धति समझाई गयी है ।

50वीं सूरह क़ाफ़ से लेकर 66वीं सूरह अत-तहरीम तक छठा प्रवर्ग है जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि अल्लाह ही हमारा संरक्षक मित्र व वली है ।

67वीं सूरह अल मुल्क से लेकर 114वीं सूरह अन-नास पर सातवां प्रवर्ग समाप्त होता है । इसमें जीवन के हर पहलू लेन-देन, सामाजिक आचार-विचार, क़ानून का पालन तथा शासन पद्धति पर आयी हैं । शिक्षाएं इसके अलावा ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिकता के अलावा पूरे कुरआन में खुदा नबी (सल्ल॰) के द्वारा ग़ैबी (परोक्ष) बातों के अलावा, परलोक के बारे में बताता है कि ''प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का ज़िम्मेदार है'' अत: भलाई पर चलने पर ज़ोर देता है ताकि हम आनन्द से भरपूर रहें । कुरआन में ज्ञान पर ज़ोर देते हुए ज्ञान-विज्ञान, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति पर भी चर्चा की गयी है ।

क़ाबिले तारीफ़ यह है कि खुदा केवल आदेश ही नहीं दे रहा है बल्कि नबी (सल्ल॰) के जीवन में उसे उतारकर हमारे सामने आदर्श पुरुष, आदर्श समाज तथा उच्च सभ्यता को दर्शा कर हमें हमारे निर्णय पर आगाह करता है ।

अंत में कहना चाहूंगा कि अगर कुरआन की सूरतें ध्यानपूर्वक पढ़ी व समझीं जाएं तो वे आश्चर्यजनक रूप से सच्चाई का मार्गदर्शन करती हैं ।



इस्लाम में पड़ोसी के अधिकार

❖ लाला काशीराम चावला

इस्लाम में पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार पर बड़ा बल दिया गया है । परंतु इसका उद्देश्य यह नहीं है कि पड़ोसी की सहायता करने से पड़ोसी भी समय पर काम आये, अपितु इसे एक मानवीय कर्तव्य ठहराया गया है, इसे आवश्यक क़रार दिया गया है और यह कर्तव्य पड़ोसी ही तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी साधारण मनुष्य से भी असम्मानजनक व्यवहार न करने की ताक़ीद की गयी है । पवित्र क़ुरआन में लिखा है–"और लोगों से बेरुख़ी न कर ।" (क़ुरआन, 31:18)

पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार का विशेष रूप से आदेश है । न केवल निकटतम पड़ोसी के साथ, बल्कि दूर वाले पड़ोसी के साथ भी अच्छे व्यवहार करने की ताकीद आयी है । सुनिये–"और अच्छा व्यवहार करते रहो–माता-पिता के साथ, सगे-संबंधियों के साथ, अबलाओं के साथ, दीन-दुखियों के साथ, निकटतम और दूर के पड़ोसियों के साथ भी।" (क़ुरआन, 4:36)

पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार के कई कारण हैं–एक विशेष बात यह है कि मनुष्य को हानि पहुंचने की आशंका भी उसी व्यक्ति से अधिक होती है जो निकट हो, इसलिए उसके संबंध को सुदृढ़ और अच्छा बनाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है ताकि पड़ोसी सुख और प्रसन्नता का साधन हो, न कि दुख और कष्ट का कारण ।

पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के संबंध में जो ईश्वरीय आदेश अभी प्रस्तुत किया गया है उसके महत्व को पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने विभिन्न ढंग से बताया है और आपने स्वयं भी उस पर (उसको करके दिखाया) अमल किया है ।

एक दिन आप अपने मित्रों के बीच विराजमान थे । उनसे फ़रमाया–"ख़ुदा की क़सम, वह मोमिन नहीं ! ख़ुदा की क़सम, वह मोमिन नहीं ! ख़ुदा की क़सम, वह मोमिन नहीं !" आपने तीन बार इतना बल देकर कहा तो मित्रों ने पूछा–"कौन ऐ अल्लाह के रसूल ?" आपने फ़रमाया–"वह जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित न हो ।"

एक और अवसर पर आपने फ़रमाया–"जो ख़ुदा पर और प्रलय पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वह अपने पड़ोसी की रक्षा करे ।"

एक और अवसर पर आपने फ़रमाया–"ईश्वर के निकट मित्रों में वह अच्छा है, जो अपने मित्रों के लिए अच्छा हो और पड़ोसियों में वह अच्छा है, जो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा हो ।"

कहते हैं कि एक बार आपने अपनी सुपत्नी हज़रत आइशा (रज़ि०) को शिक्षा देते हुए फ़रमाया–"जिबरील (अलैहि०) ने मुझे अपने पड़ोसी के महत्वपूर्ण अधिकारों की इतनी ताकीद की कि मैं समझा कि कहीं विरासत में वे उसे भागीदार न बना दें ।"

इसका साफ़ अर्थ यह है कि पड़ोसी के अधिकार अपने निकटतम संबंधियों से कम नहीं ।

एक बार आपने एक साथी हज़रत अबू ज़र (रज़ि०) को नसीहत करते हुए कहा–

"अबू ज़र ! जब शोरबा पकाओ तो पानी बढ़ा दो और इसके द्वारा अपने पड़ोसियों की सहायता करते रहो।"

चूंकि स्त्रियों से पड़ोस का संबंध अधिक होता है, इसलिए आपने स्त्रियों को संबोधित करते हुए विशेष रूप से कहा–"ऐ मुसलमानों की औरतो ! तुम में से कोई पड़ोसिन अपनी पड़ोसिन के उपहार को तुच्छ न समझे, चाहे वह बकरी का खुर ही क्यों न हो ।"

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने पड़ोसियों की खोज ख़बर लेते रहने की बड़ी ताकीद की है और इस बात पर बहुत बल दिया है कि कोई मुसलमान अपने पड़ोसी के कष्ट और दुख से बेख़बर न रहे । एक अवसर पर आपने फ़रमाया–"वह मोमिन नहीं जो ख़ुद पेट भर खाकर सोये और उसकी बग़ल में उसका पड़ोसी भूखा रहे ।"

एक बार अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–"व्यभिचार निषिद्ध (हराम) है, ईश्वर और उसके देतों ने इसे बहुत बुरा काम कहा है । किंतु दस व्यभिचार से बढ़कर

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

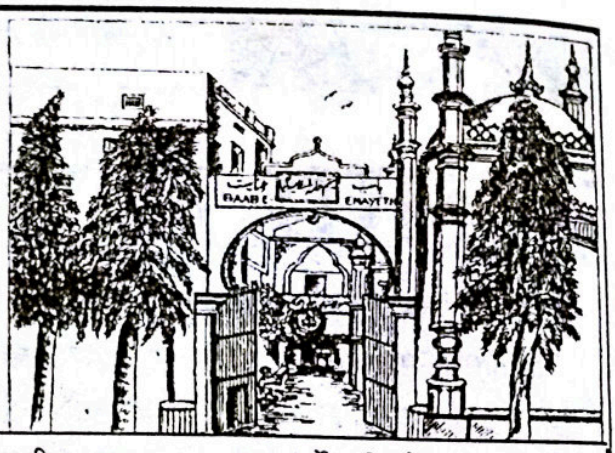

एक परिचय

● दीनी और असरी शिक्षा की अपनी तरह की जानी-मानी रिहाइशी पाठशाला ● 94 वर्षों की सेवाएं ● बहुत से विभाग ● शिक्षा के पड़ाव : प्राथमिक से मैट्रिक तक ● हिफ़्ज़ का विभाग : हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक ● हर वर्ष बिहार स्कूल बोर्ड परीक्षा का 100 प्रतिशत रिज़ल्ट ● पत्राचार शिक्षा 2010-2011 के सत्र के लिए 11वीं, 12वीं और बी०ए० में प्रवेश जारी ● कंप्यूटर की भी शिक्षा ● किफ़ाला स्कीम के तहत एक अनाथ छात्र पर वार्षिक ख़र्च 12000/- रुपये प्रति वर्ष ● कुल वार्षिक ख़र्च 15 लाख से अधिक ● आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● 125 अनाथ बच्चे जिनका पूरा ख़र्च इदारा ही उठाता है ।

● जिस रूप में संभव हो मदद करके अल्लाह से बड़ा इनाम प्राप्त करें-उदाहरण के लिए ● ज़कात ● सदक़े ● अतिया ● पैदावार की ज़कात ● क़ुरबानी की खाल ● एक अनाथ बच्चे का वार्षिक ख़र्च ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवाना आदि ।

● याद रखें यहां हर वर्ष ऑडिट (Audit) भी कराया जाता है । आप खुद यतीमख़ाना इस्लामिया पहुंच कर बराबरी का व्यावहारिक नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस प्रकार अनाथ और मां-बाप वाले बच्चे मिल-जुलकर रहा करते हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

नोट : यह इदारा विदेशी मुद्रा के क़ानून FCRA के तहत भी रजिस्टर्ड है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

अब आप विदेश से BANK A/c No. 300402010000187

BANK CODE NO. UBININBBJAM,
UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
में अपनी रक़म भेज सकते हैं

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें-THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE

चेक, ड्राफ़्ट, मनीऑर्डर या ख़त भेजने का पता

Hon. SECRETARY, THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
At+P.o : CHERKI-824237, Distt : GAYA (BIHAR) INDIA

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK A/C NO. : 10581, UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)
CORE BANKIN G A/C NO.: 300402010010581, ☎ 0631-2734428 ● Mobile : 9955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in, Website : www.gmogaya.com

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

अध्यक्ष
डॉ० फ़रासत हुसैन

एज़ाज़ी नाज़िम
डॉ० मुहम्मद एहतिशाम रसूल

व्यभिचार यह है कि कोई अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे। चोरी निषिद्ध है, अल्लाह और पैग़म्बर ने उसे वर्जित ठहराया है, किंतु दस घरों में चोरी करने से बढ़कर यह है कि कोई अपने पड़ोसी के घर से कुछ चुरा ले।''

दो मुसलमान स्त्रियों के संबंध में आपको बताया गया कि पहली स्त्री धार्मिक नियमों का बहुत पालन करती है किंतु अपने दुर्वचनों से पड़ोसियों की नाक में दम किये रहती है। दूसरी स्त्री साधारण रूप से रोज़ा-नमाज़ अदा करती है किंतु अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करती है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने फ़रमाया–''पहली स्त्री नरक में जाएगी और दूसरी स्वर्ग में।''

अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने पड़ोसी के स्वत्व (हक़) पर इतना बल दिया है कि शायद ही किसी और विषय पर दिया हो।

एक अवसर पर आपने फ़रमाया–''तुममें कोई मोमिन नहीं होगा जब तक अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसन्द न करे जो अपने लिए पसन्द करता है।''

अर्थात पड़ोसी से प्रेम न करे तो ईमान तक छिन जाने का ख़तरा रहता है; यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती, एक और स्थान पर आपने इस बारे में जो कुछ फ़रमाया वह इससे भी ज़बरदस्त है। आपने फ़रमाया–'जिसको यह प्रिय हो कि खुदा और उसका रसूल उससे प्रेम करे या जिसको खुदा और उसके रसूल के प्रेम का दावा हो तो उसको चाहिए कि वह अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करे और उसका हक़ अदा करे।''

अर्थात जो पड़ोसी से प्रेम नहीं करता, उसका खुदा और रसूल से प्रेम का दावा भी झूठा है और खुदा और रसूल के प्रेम की आशा रखना एक भ्रम है। इसी लिए आपने फ़रमाया है कि क़ियामत के दिन ईश्वर के न्यायालय में सबसे पहले दो वादी उपस्थित होंगे जो पड़ोसी होंगे। उनसे एक-दूसरे के संबंध में पूछा जाएगा।

मनुष्य के सद्व्यवहार एवं कुव्यवहार की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि उसे वह व्यक्ति अच्छा कहे जो उसके बहुत क़रीब रहता हो। चुनांचे एक दिन आप (सल्ल०) के कुछ साथियों ने आपसे पूछा–''ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! हम कैसे जानें कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा!

आप (सल्ल०) ने फ़रमाया–''जब अपने पड़ोसी से तुम अपने बारे में अच्छी बात सुनो तो समझ लो कि अच्छा कर रहे हो और जब बुरी बात सुनो तो समझो बुरा कर रहे हो।''

पैग़म्बरे इस्लाम ने इस विषय में हद तय कर दी है। यही नहीं कि पड़ोसी के विषय में ताक़ीद की है बल्कि यह भी कहा है कि अगर पड़ोसी दुर्व्यवहार करे, तो जवाब में तुम भी दुर्व्यवहार न करो और यदि आवश्यक ही हो तो पड़ोस छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाओ। अत: एक बार आपके एक साथी ने आपसे शिकायत की कि ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मेरा पड़ोसी मुझे सताता है। फ़रमाया–''जाओ, धैर्य से काम लो।'' इसके बाद वह फिर आया और शिकायत की। आपने फ़रमाया–''जाकर तुम अपने घर का सामान निकालकर सड़क पर डाल दो।'' साथी ने ऐसा ही किया। आने-जाने वाले उनसे पूछते तो वह उनसे सारी बातें बयान कर देते। इस पर लोगों ने उनके

SHATABDI FOUNDATION, GAYA

- Started Shatabdi Public School in 2001 with primary classes, has now developed into a 10+2 CBSE affiliated educational institution with quality education in modern subjects with moral orientation.
- Presently there are around 1000 students who are provided modern teaching facilities. The Foundation also adopts poor/ orphan students
- Under Upwardbound .scheme, another project has been launched for preparation of +2 students to compete in Entrance Test for Engineering, Medical and other professional & technical courses.
- Our immediate needs are — Purchase one more school bus, Construction of Prayer Hall & Purchase of 30 Computers.

Ahle Khair Hazrat are Requested to Donate.

Kindly send your cheque/draft in favour of "Shatabdi Foundation, Gaya".

(Prof Z.H.Khan) Chairman — *(Prof M. B. Zaman)* Secretary

Shatabdi Public School, Katari Hill Road, Gaya-823001 (Bihar) INDIA

पड़ोसी को आड़े हाथों लिया और उसे बड़ी लज्जा की अनुभूति हुई । अस्तु, वह अपने पड़ोसी को मनाकर दोबारा घर में वापस लाया और वादा किया कि अब वह उसे न सताएगा ।

मेरे ग़ैर-मुस्लिम भाई इस घटना को पढ़कर चकित रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या सचमुच एक मुसलमान को इस्लाम धर्म में इतनी सहनशीलता की ताकीद है और क्या वास्तव में वह ऐसा कर सकता है । हां, निस्संदेह इस्लाम धर्म और अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने ऐसी ही ताकीद फ़रमायी है और इस्लाम के सच्चे अनुयायी इसके अनुसार अमल भी करते रहे हैं । अब भी ऐसे पवित्र व्यक्ति इस्लाम के अनुयायियों में मौजूद हैं जो इन सब बातों को संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करते हैं ।

मेरे कुछ भाई इस भ्रम में रहते हैं कि पड़ोसी का अर्थ केवल मुसलमान पड़ोसी ही से है, ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी से नहीं । उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए एक ही घटना लिख देना पर्याप्त होगा ।

एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) ने एक बकरी ज़िब्ह की । उनके पड़ोस में एक यहूदी भी रहता था । उन्होंने अपने घर वालों से पूछा–"क्या तुमने यहूदी पड़ोसी का हिस्सा इसमें से भेजा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से मुझे इस संबंध में ताकीद पर ताकीद सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है कि हर एक पड़ोसी का हम पर हक़ है ।"

एक बार कुछ फल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के पास उपहारस्वरूप आये । आपने सर्वप्रथम उनमें से एक भाग अपने यहूदी पड़ोसी को भेजा और बाक़ी भाग अपने घर के लोगों को दिया ।

निस्संदेह अन्य धर्मों में हर एक मनुष्य को अपने प्राण की तरह प्यार करना, अपने ही समान समझना, सबकी आत्मा में एक ही पवित्र ईश्वर के दर्शन करना आदि लिखा है । किंतु स्पष्ट रूप से अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने और उसके अत्याचारों को भी धैर्यपूर्वक सहन करने के बारे में जो शिक्षा पैग़म्बरे इस्लाम ने खुले शब्दों में दी है वह कहीं और नहीं पायी जाती ।

अपने पड़ोसी से दुर्व्यवहार की जितनी बुराई अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने बयान फ़रमायी है और उसे जितना बड़ा पाप ठहराया है, किसी और धर्म में उसका उदाहरण नहीं मिलता । इसलिए सत्यता यही है कि पड़ोसी के अधिकारों को इस प्रकार स्वीकार करने से इस्लाम की यह शान बहुत बुलन्द नज़र आती है । इस्लाम का दर्जा इस संबंध में बहुत ऊंचा है । यह शिक्षा इस्लाम धर्म के ताज में एक दमकते हुए मोती के समान है और इसके लिए इस्लाम की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है ।

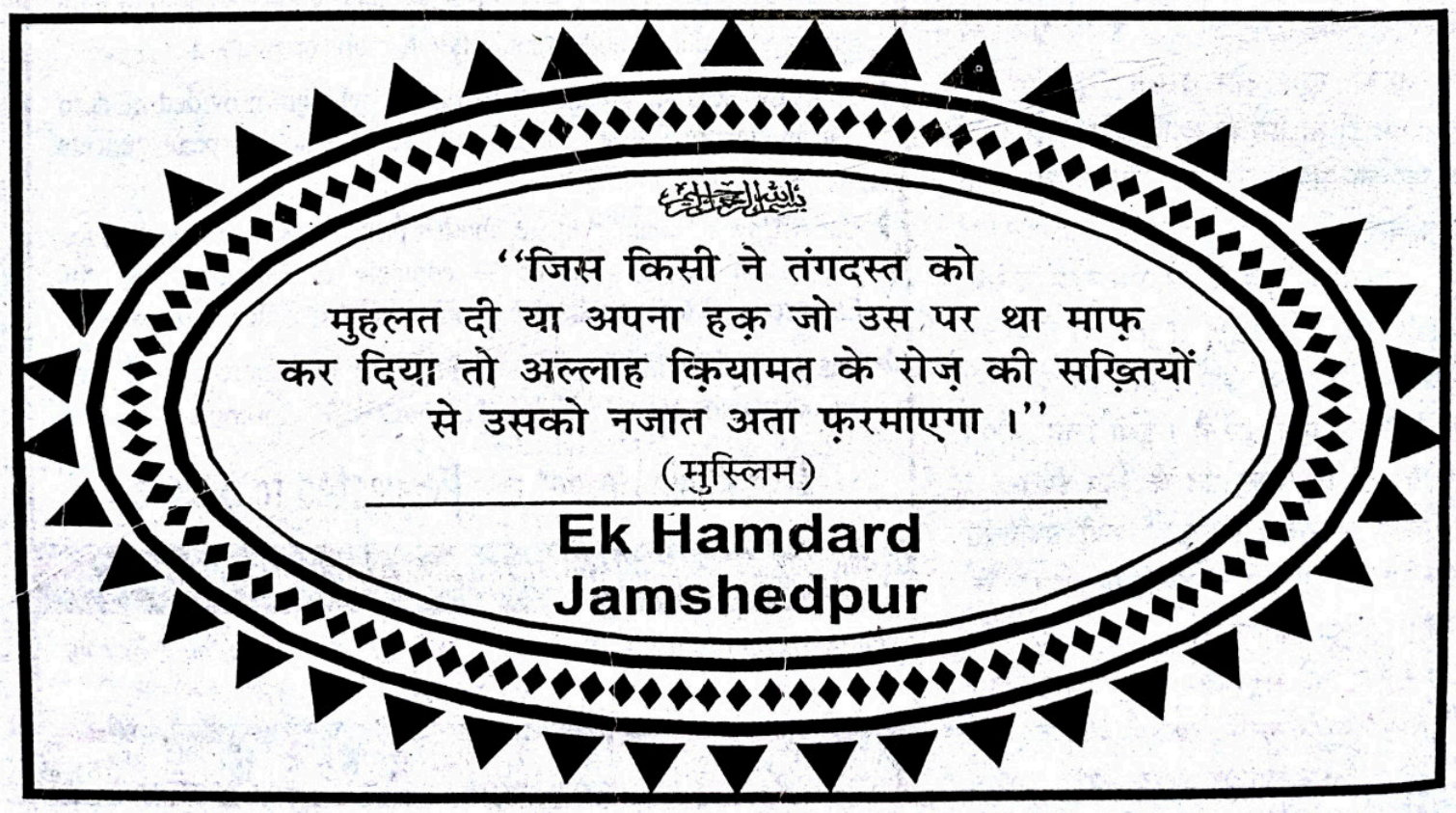

इस्लाम और ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक

■ मुहम्मद क़ुत्ब

कुछ लोगों के नज़दीक इस्लामी राज्य के बारे में ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों का रवैया एक बहुत नाजुक विषय है जिसे छेड़ना ख़तरे से ख़ाली नहीं है, क्योंकि इससे मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिमों में घृणा और विद्वेष के जन्म लेने का डर है, इसलिए ये लोग इस विषय पर कुछ कहते हुए झिझकते हैं ।

फिर भी हम चाहते हैं कि पूरब में रहने वाले ईसाइयों से खुलकर बात क़रें और उनसे पूछें कि उन्हें इस्लामी राज्य से डर क्यों लगता है ? क्या वे इस्लामी क़ानून से भयभीत हैं या वे व्यावहारिक जीवन में उनके लागू होने से डरते हैं ?

क़ुरआन और अल्पसंख्यक

इस दृष्टि से क़ुरआन की निम्न आयतें विचारणीय हैं :

'अल्लाह तुमको उन लोगों के साथ एहसान और इन्साफ़ का बर्ताव करने से मना नहीं करता, जो तुम से धर्म के बारे में नहीं लड़े और तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला अल्लाह इन्साफ़ का बर्ताव करने वालों से मुहब्बत रखते हैं ।' (क़ुरआन, 60:8)

'आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गयीं और ग्रंथ वालों का ज़बीहा (हलाल मांस) तुमको हलाल है । और तुम्हारा ज़बीहा उनको हलाल है और पाक दामन औरतें भी जो मुसलमान हों और पाक दामन औरतें उन लोगों में से भी जिनको तुम से पहले ग्रंथ दिये गये हों ।'

(क़ुरआन, 5:5)

और धर्मशास्त्र का यह एक मान्य नियम है कि उनके लिए वही अधिकार हैं जो हमारे लिए हैं और उनके भी वही कर्तव्य और ज़िम्मेदारियां हैं जो हमारी हैं । यह बातें उनके साथ सद्व्यवहार करने, उनके मामले में न्याय से काम लेने और उनके हक़ों और अधिकारों के सिलसिले में जो किसी इबादत या फ़र्ज़ कामों से संबंधित न हों बल्कि उनका ताल्लुक़ समाज के कठिन और उसमें बसने वाले नागरिकों के अधिकारों से हो, उनके और मुसलमानों के मध्य समता स्थापित करने की हिदायत करती हैं और साथ ही वे आपस में भेंट मुलाक़ातों और एक-दूसरे के साथ खाने-पीने से उनके और मुसलमानों के मध्य संबंधों को सुदृढ़ बनाना चाहती हैं । इन सबसे बड़ी बात यह कि इनके अनुसार विवाह का रिश्ता भी क़ायम हो सकता है, वो सबसे मज़बूत रिश्ता है ।

सर आर्नल्ड की गवाही

रह गया इस्लाम की इन शिक्षाओं पर अमल तो इस मामले में अपनी ओर से कुछ कहने के बजाय हम यूरोप के ईसाई लेखकों ही का हवाला देंगे जिनके बारे में किसी को सन्देह नहीं हो सकता कि यह ख़ामख़ाह इस्लाम का समर्थन करेंगे । सर आर्नल्ड अपनी पुस्तक 'प्रीचिंग ऑफ़ इस्लाम' में लिखते हैं–

'यह बात कि इन लोगों का इस्लाम स्वीकार करना किसी ताक़त या दबाव का नतीजा नहीं था, उन प्रिय संबंधों से भी स्पष्ट होती है जो उस ज़माने के ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य पाये जाते थे । स्वयं मुहम्मद (सल्ल०) ने कई एक ईसाई क़बीलों से समझौते किये जिनके अनुसार आपने उनकी सुरक्षा का ज़िम्मा लिया और उन्हें अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल की गारंटी दी और उनके धार्मिक नेताओं के उन तमाम अधिकारों और सत्ता को बाक़ी रखा, जो उन्हें इस्लाम से पहले प्राप्त था ।' (पृ० 48)

'पहली सदी हिजरी के मुस्लिम विजेताओं ने अरब नस्ल के ईसाइयों के प्रति जिस उदारता की रीति अपनायी और जिसका सिलसिला उनके बाद आने वाली नस्लों ने भी जारी रखा, उनको देखते हुए हम विश्वास से कह सकते हैं कि जिन ईसाई क़बीलों ने इस्लाम स्वीकार किया, उन्होंने राज़ी-ख़ुशी से ऐसा किया । (पृ० 51)

'जब मुसलमानों की सेनाएं जार्डन की घाटी में पहुंची और हज़रत अबू उबैदा (रज़ि०) ने फ़हिल के स्थान पर अपना ख़ेमा गाड़ा तो उस क्षेत्र के ईसाइयों ने अरबों को लिखा 'ऐ मुसलमानो ! हम तुम्हें बाज़तीनियों पर प्रमुखता देते हैं यद्यपि वे हमारे सम-धर्मी हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ अपना वचन ज़्यादा अच्छी तरह निभाया है, तुम हम पर अधिक मेहरबान हो, कोई अन्याय नहीं करते और हम पर तुम्हारा शासन उनके शासन से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने हमारा माल व अस्बाब और घर सब कुछ लूट लिया है ।' (पृ० 55)

मदद के लिए अपील

जामिया मिस्बाहुल उलूम चौकोनियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जाना-माना तालीमी इदारा है। यह इदारा सिद्धार्थ नगर ज़िला के ग्रामीण क्षेत्र में है। यहां लगभग सभी राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल के छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। यह इदारा आधी सदी से तालीम व तर्बियत के मोर्चे पर मुस्लिम समाज की सेवा कर रहा है। यहां प्राइमरी से लेकर आलिमीयत तक की तालीम का पूरा इन्तिज़ाम है। यहां दीनी और अस्री उलूम को एक ख़ास इम्तिज़ाज के साथ समोया गया है, जिसके कारण जामिया को तालीमी मैदान में एक अलग और प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। यहां क़याम और तआम की सारी सहूलतें उपलब्ध हैं। जामिया मिस्बाहुल उलूम की विशेषता तालीम के साथ इस्लामी बुनियादों पर छात्रों की मिसाली तर्बियत करना है।

जामिया वे+ मंसूबे

● मर्कज़ी लाइब्रेरी की तामीर ● जामिया की मस्जिद के अधूरे कामों को पूरा करना ● लड़कियों के लिए अलग दर्सगाह की तामीर ● टेक्निकल सेन्टर का क़याम ● होस्टल की तामीर ● अनाथालय की तामीर ● फैमिली क्वार्टर्स की तामीर

अह्ले ख़ैर हज़रात से दरख़्वास्त है कि जामिया की दिल खोलकर मदद करें और अल्लाह वे+ यहां उसका बदला पाएं।

—: भेजने का पता :—

जामिया मिस्बाहुल उलूम

चौकोनियां भारत भारी, सिद्धार्थनगर-272191

फ़ोन : 09670641947, 09451097177

जामिया का बैंक खाता नं॰

A/c No. 30290663653 S.B.I. डुमरियागंज, कोड-1250

A/c No. F.C.R. CD-149 सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बेवॉ चौराहा

श्री आर्नल्ड आगे चलकर लिखते हैं–'यह थी सीरिया प्रांत में जनभावनाओं की स्थिति । सन 633-639 ई० की मुहिम के दौरान जब अरबों ने रूमियों को धीरे-धीरे सीरिया से निकाल-बाहर किया । सन 637 ई० में दमिश्क़ ने अरबों से कुछ शर्तों पर सुलह कर ली और इस तरह जब अपने आपको न केवल उनके हमलों से बचा लिया, बल्कि कुछ और अधिक फ़ायदे भी हासिल कर लिए, तो उसके जल्द ही बाद सीरिया के दूसरे शहरों के निवासियों ने उसकी मिसाल पर अमल किया । हम्स, आर्थूसा, अरिथुसा, हीरो पोलिस और दूसरे शहर एक-एक करके समझौते के द्वारा अरबों के अधीन आ गये । यरुशलम के बुज़ुर्गों पादरी ने भी इसी प्रकार की शर्तों पर शहर मुसलमानों के हवाले कर दिया। बद-अक़ीदा बादशाह के धार्मिक दमन चक्रों के कारण उन्हें रूमी राज्य और उसकी ईसाई सरकार से ताल्लुक़ के मुक़ाबले में मुसलमानों की धार्मिक उदारता अधिक भली मालूम हुई । हमलावर सेना के आरंभिक भय की लहर के गुज़र जाने के बाद इन लोगों में अरब विजेताओं के पक्ष में एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया शुरू हुई ।' (पृ० 55)

यह है एक ईसाई विद्वान की गवाही इस्लामी राज्य के बारे में । इसके बाद ईसाइयों के लिए इस्लामी व्यवस्था से भयभीत होने का क्या कारण बाक़ी रह जाता है ?

हो सकता है कि ईसाई मुसलमानों की 'धार्मिक कट्टरता' से भयभीत हों । अगर यह सही है, तो मालूम होता है वे धार्मिक कट्टरता के अर्थ ही को नहीं जानते । अगर वे उसका सही-अर्थ जानना चाहते हैं, तो वह उन्हें निम्न उदाहरणों में मिलेगा ।

चर्च ने जो धार्मिक अदालतें स्थापित की थीं, उनका अस्ल मक़सद स्पेन के मुसलमानों का उन्मूलन था । इन अदालतों ने मुसलमानों को भयानक सज़ाएं दीं और उन्हें सताने के ऐसे-ऐसे घिनौने तरीक़े अपनाये, जो इससे पहले कहीं नहीं देखे गये थे । उन्होंने मुसलमानों को जीवित जला दिया । उनके नाख़ुनों को खींच कर मांस से जुदा कर दिया गया, आंखें निकाली गयीं और उनके आंग काटे गये । इन सारी कार्रवाइयों का उद्देश्य मुसलमानों को अपने धर्म से विमुख करके उन्हें ईसाई-धर्म के एक ख़ास अक़ीदे का मानने वाला बनाना था ।

क्या पूरब के इस्लामी देश में रहने वाले ईसाइयों को भी कभी इस प्रकार के व्यवहार का सामना करना पड़ा है ?

पक्षपात के ये पुजारी यूगोस्लाविया, इराक़, अफ़ग़ानिस्तान, इथियोपिया, अल्बानिया, रूस और यूरोपवासियों के प्रभावाधीन देशों, जैसे उत्तरी अफ़्रीक़ा, सुमाली लैंड, केन्या और ज़ंजीबार और मलाया आदि में कभी अम्न व सलामती के नाम पर और कभी राष्ट्र की शुद्धि के नाम पर मुसलमानों का क़त्लेआम कर चुके हैं । क्या किसी मुस्लिम देश में बसने वाले ईसाइयों को कभी इस प्रकार के बर्ताव से वास्ता पड़ा है ? और आज उनके समधर्मियों ने मुसलमानों के बारे में जो व्यवहार अपना रखा है, क्या वे अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाना पसन्द करेंगे ? बहरहाल यह है धार्मिक कट्टरता का सही अर्थ ।

जहां तक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का ताल्लुक़ है तो सच तो यह है कि मुस्लिम देशों में ईसाइयों को कभी परंपरागत धार्मिक दमन का सामना नहीं करना पड़ा । वर्तमान युग में इसकी एक-दो मिसालें जो मिलती हैं, उनकी अस्ल वजह अंग्रेज़ी साम्राज्य था, जिसने जान-बूझकर उनका उत्साह बढ़ाया, ताकि विभिन्न गिरोहों में बिखराव और विद्वेष के बीज बोये जा सकें ।

जिज़्या और उसकी हक़ीक़त

कुछ विरोधी जिज़्या की मिसाल देकर कहते हैं कि ग़ैर-मुस्लिमों से उसकी वसूली का मुख्य कारण धार्मिक असहिष्णुता थी । इस आरोप का बेहतरीन उत्तर सर आर्नल्ड ने दिया है । वह अपनी पुस्तक 'दी प्रीचिंग ऑफ़ इस्लाम'

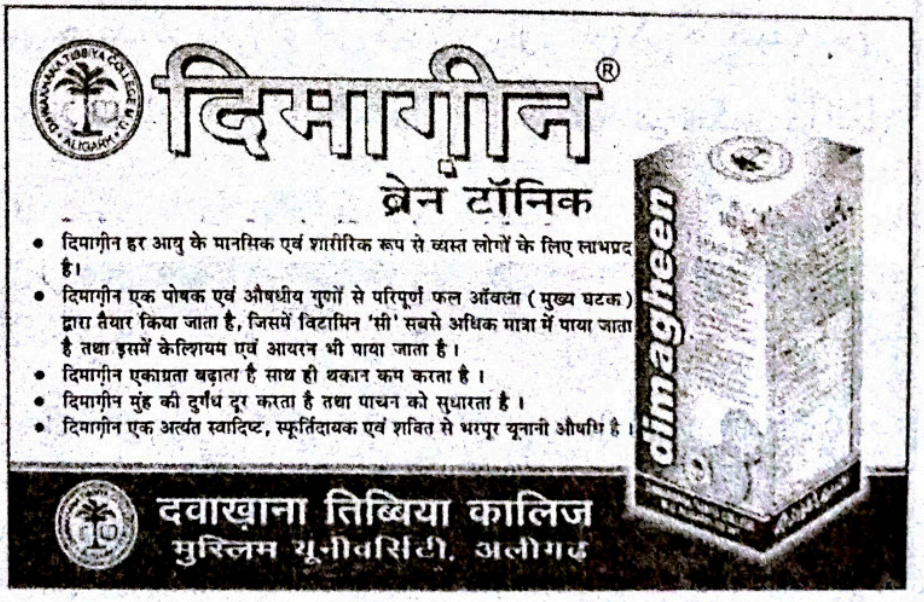

में लिखते हैं–'इसके विपरीत मिस्र किसानों को, जो मुसलमान थे, जब सैनिक सेवा से अलग किया जाता था, तो उसके बदले उन पर वैसा ही एक कर लगाया जाता था, जैसा कि ईसाइयों पर लगा करता था ।' (पृ॰ 62)

आगे चलकर श्री आर्नल्ड लिखते हैं–

'जैसा कि ऊपर बयान किया गया है, जिज़्या केवल स्वस्थ मर्दों से उस सैनिक सेवा के बदले वसूल किया जाता था, जो उन्हें मुसलमान होने की स्थिति में करनी पड़ती थी और यह बात भी उल्लेखनीय है कि जब ईसाई मुसलमान सेना में शामिल होकर सैनिक सेवा करते थे, तो उन्हें इस कर को देने का अपवाद घोषित कर दिया जाता था । चुनांचे अल-जुराजमा के ईसाई क़बीले के साथ, जो कि अंताकिया के पड़ोस में आबाद था, मुसलमानों ने इस शर्त पर सुलह की थी कि वे उनके मित्र होंगे और लड़ाई में उनकी ओर से लड़ेंगे । इसके बदले में उन्हें जिज़्या नहीं देना पड़ेगा, बल्कि लूट के माल में से उन्हें उचित भाग दिया जाएगा । (पृ॰ 63)

इससे साफ़ ज़ाहिर है कि जिज़्या मुसलमानों की अनुदारता का नतीजा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा टैक्स था, जो उन तमाम लोगों से, धर्म-सम्प्रदाय के भेदभाव के बिना वसूल किया जाता था, जो सैनिक नहीं अंजाम देते थे ।

क़ुरआन में जिज़्या का हुक्म

इस मामले से मुताल्लिक़ आयत पर एक नज़र डाल लेना फ़ायदे से ख़ाली न होगा । क़ुरआन मजीद में इरशाद है–'लड़ो ग्रंथ वालों में से उन लोगों के विरुद्ध, जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम क़रार दिया है, उसे हराम नहीं करते और सत्य धर्म को अपना धर्म नहीं बनाते, उनसे लड़ो, यहां तक कि वे अपने हाथ से जिज़्या दें और छोटे बनकर रहें ।' (9:29)

इस आयत में मुसलमानों को केवल उन ग़ैर-मुस्लिमों से लड़ाई लड़ने पर उभारा गया है, जो इस्लाम के विरुद्ध लड़ाई करते हैं । उसका मुसलमान देशों में बसने वाले ग़ैर-मुस्लिम निवासियों से कोई संबंध नहीं है । आख़िर में हम यह सच्चाई भी बता देना चाहते हैं कि मुसलमानों और इस्लामी देशों के ग़ैर-मुस्लिम निवासियों में मतभेद और अशांति के वर्तमान वातावरण उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी और वामपंथियों की उपज है ।

بسم الله الرحمن الرحيم

"حضرت ابوهريره اور ابوخلاد رضى الله تعالىٰ عنهم سے روايت هے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: جب تم كسى بنده كو اِس حال ميں ديكهو كه اُس كو زهد، يعنى دنيا كى طرف سے بے رغبتى و بے رُخى اور كم سخنى (يعنى لغو اور فضول باتوں سے زبان كو محفوظ ركهنے كى صفت) الله نے نصيب فرمائى تو اُس كے پاس اور اُس كى صحبت ميں رهاكرو، كيونكه جس بندے كا يه حال هوتاهے اُس كو الله تعالىٰ كى طرف سے حكمت كا القا هوتاهے۔" (شعب الايمان للبيهقى)

A WELL WISHER

ڈاکٹر شاہنواز احمد خاں فلاحی

پرنسپل فیض اللہ خاں فلاحی

कष्ट निवारण

बस जल्दी-जल्दी भर रही थी । इस बात से मैं ख़ुश था । यदि झटपट पूरी भर जाए तो कुछ मिनट पहले ही चल पड़ेगी । फिर भरी हुई बस को रास्ते में सवारियां भरने के लिए रुकना नहीं पड़ता है । मैं जल्दी ही दिल्ली पहुंच जाना चाहता था । करनाल से दिल्ली के लिए यह पहली बस थी । दुकानों और दफ़्तरों के समय से पहले पहुंचा देती थी । शेष सवारियां भी मेरे जैसी जल्दी में लगती थी ।

मेरी बग़ल में एक ढली उम्र का किसान बैठा हुआ था । मेरा ध्यान बस के दरवाज़े पर और बाहर की रौनक़ की ओर था । मैं उसकी ओर तभी मुख़ातिब हुआ जब मुझे पढ़ा-लिखा जानकर उसने बातें पूछनी शुरू कर दीं ।

–यह बस कितने बजे चलेगी यहां से ?

–छह बजे ।

–इस समय क्या बजा है ?

–बस छह बजने ही वाले हैं ।

–पानीपत कितने समय तक पहुंच जाएगी ?

–पौन घंटे में ।

–अड्डे से अफ़सरों के रहने का स्थान कितनी दूर है ? मैं पहुंच जाऊंगा यहां ?

–पास ही में है । मैं तुम्हें यहां बता दूंगा ।

–मुझे उन्होंने सात बजे बुलाया है । आपकी मेहरबानी से पहुंच ही जाऊंगा । मैं रात को अड्डे पर आ गया था । कहने लगे, सुबह बस जाएगी, तू उससे चला जाना । समय से पहुंचा देगी ।

उसने बताया कि पानीपत में उसकी पेशी की तारीख़ थी । चकबंदी के बड़े अफ़सरों के सामने उसने अपील कर रखी थी । अफ़सर रहता तो अंबाले में था, पर दौरे पर पानीपत आया हुआ था । उस इलाक़े में जिस-जिस ने अपीलें की हुई थीं, उन सबको उसने वहीं बुलाया था ।

'मुझे ख़राब ज़मीन दे दी ।' उसने कहा । 'कहते हैं कि तेरा हिस्सा यहीं आता है । और किसको यहां पटकें । घटिया ज़मीन सस्ती मिलती है । तुझे बहुत-सी दे दी है । और क्या चाहिए ? पर वहां होता ही कुछ नहीं है, मुझे बहुत का क्या करना है ? गांव में मैं कमज़ोर पड़ता हूं । लड़का भी अभी कोइ तगड़ा नहीं है । पहले लड़कियां ही हुई हैं । अब जाकर लड़का हुआ है । अभी बालक ही है । गांव में कोई मेरा साथ नहीं देता । इसी लिए मुझे यह रगड़ा लग गया है । अब देखो यह अफ़सर क्या निर्णय लेता है । कहते हैं इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होता ।'

'पर चकबंदी का सुना है कि यह नियम है कि जहां पर किसी का बड़ा भू-भाग होता है वहीं सारी भूमि इकट्ठा करनी होती है ।'

'वह तो ठीक है । पर मेरे चार स्थान पर छोटे-छोटे टुकड़े थे । यहां सबसे ख़राब टुकड़ा था, इससे लगी सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी है । गांव वाले कहते हैं सब्र करके बैठा रहा । अब सारे गांव को परेशान करेगा । सबको नये सिरे से कठिनाई में डालेगा । बड़ी मुश्किल से तो यह काम समाप्त हुआ है । लोगों को आराम से खेती-बाड़ी करने दे । तू भी सूखी-सूखी खाता रह । दांतों तले जीभ दबा ले । संवारेगा तो धीरे-धीरे ज़मीन सुधर जाएगी । काफ़ी ज़मीन मिल गयी हैं । और क्या चाहिए । पर मेरे लिए तो वह ज़मीन बेकार है । वकील किया है । देखो क्या होता है ।'

'ठीक ही हो जाएगा ।' मैंने उसे ढाढस बंधाया ।

बस में अब बहुत भीड़ हो गयी थी । पर भीड़ से ज़्यादा अफ़रा-तफ़री थी । आज सोमवार था । इतवार की छुट्टी होने के कारण बहुत से लोग दिल्ली से बाहर आये हुए थे, जो जल्दी वापस जाना चाहते थे । दोनों दरवाज़ों से कई सवारियां अन्दर आने का प्रयत्न कर रही थीं । पर अन्दर सभी सीटें भर गयी थीं । फिर भी वे दरवाज़े से हट नहीं रही थीं । कोई तगड़ा आदमी धक्का मार कर भीतर आ जाता । पर फिर जगह न देखकर पीछे हो जाता ।

दरवाज़े पर खड़े लोग बस में आने के लिए जितने बेसब्र थे, उतने ही बस में बैठे लोग बस के चलने के लिए थे । वे कंडक्टर को बस चलाने के लिए आवाज़ें दे रहे थे ।

'बस अब और कोई सीट नहीं है ।' कंडक्टर ने चलने

की तैयारी करके दरवाज़े पर खड़े लोगों से कहा ।

'सीट क्यों नहीं है । हम टिकट लिए हुए हैं ।'

'टिकटें ज़्यादा काट दी हैं क्या आज ?' कंडक्टर ने टिकट काटने वाले बाबू को आवाज़ दी ।' सोमवार है, अगर चेकिंग हो गयी तो जुर्माना कौन भरेगा ?'

'नहीं, पूरी हैं । एक भी ज़्यादा नहीं काटी है ।' बाबू ने काग़ज़-पत्तर कंडक्टर के हाथ में पकड़ते हुए कहा ।

'तो फिर कई आदमी बिना टिकट अन्दर आ गये हैं ।' कंडक्टर ने जैसे माफ़ी मांगते हुए कहा, फिर ऊंची आवाज़ में जैसे बस की दीवारों से बोला, 'जो बिना टिकट के बैठे हैं, कृपया नीचे उतर लें । टिकट वाले बेचारे बाहर खड़े हैं।'

कोई सवारी नहीं हिली । यदि टिकट धारी सवारियां बाहर न खड़ी होतीं तब भी बस चलाना कठिन था । सीटों के बीच का रास्ता सामान से अटा पड़ा था । एक बुढ़िया इस रास्ते के बीच में ही बैठ गयी थी ।

'माई उठकर सीट पर बैठ जाओ ।' कंडक्टर ने कहा ।

'बेटा, अगर सीट हो तो पैरों में बैठने का भला मुझे कोई शौक़ है ?'

एक स्त्री ने अपने तीन बच्चों समेत दो सवारियों वाली सीट घेर ली थी । दो बच्चे तीन साल से छोटे थे । इसलिए टिकट एक का ही लिया था ।

'बच्चों को गोद में ले लो । आधी टिकट के लिए कोई सीट नहीं है ।' कंडक्टर बोला ।

एक बच्चे को बूढ़ी माई ने गोद में ले लिया और दो को उनकी मां ने, और इस प्रकार रास्ते से उठकर माई सीट पर हो गयी ।

पर गाड़ी चलने का अभी कोई आसार नहीं था । बिना टिकट वाले लोग उठने का नाम नहीं ले रहे थे ।

'अपना-अपना टिकट निकालो ।' कंडक्टर ने आवाज़ दी और आगे बैठे एक आदमी की ओर हाथ बढ़ाया ।

'टिकट तो अभी लेना है ।' सवारी ने विनम्रता से कहा ।

'नीचे उतर कर लो फिर । बेकार में बस को लेट किये जा रहे हो । चलने भी दोगे इसे कि झगड़े में सारा दिन गंवा दोगे ?' कंडक्टर ने झिड़की दी ।

'जल्दी जाना था । सामान ऊपर पड़ा है ।'

'नीचे उतर कर जल्दी से उतरवा लो । नहीं तो दिल्ली चला जाएगा । टिकट नहीं लिया, कुछ नहीं किया और सामान ऊपर रखवा दिया ।'

बेटिकट सवारियों के कान खड़े हो गये । एक-एक करके खिसकने लगे । छत से सामान उतारने की छड़क सुनायी देने लगी । सीटों के बीच में पड़ा सामान कुछ सीटों के नीचे, और कुछ छत के ऊपर लगवा दिया गया । फिर भी एक सवारी का अन्तर रह गया ।

एक नयी बैठी सवारी से कंडक्टर ने पूछा, 'तुम अपना टिकट दिखाओ ।'

टिकट पिछली गाड़ी का था ।

'यह तो साढ़े छह वाली का है ।'

'इसका हमें क्या पता ।'

'इस पर बस का नम्बर लिखा हुआ है । नीचे उतर कर उसमें बैठ जाओ । वह पीछे खड़ी है ।' फिर उसने खिड़की के पीछे बैठे बाबू से कहा, 'अभी से नयी गाड़ी के टिकट काटने शुरू कर दिये । सवारियां इधर बढ़ी चली आ रही हैं ।'

'तुम्हें तो आज बस अड्डे से बाहर निकालनी ही नहीं है जैसे । हम सारे काम रोक दे क्या ? पांच मिनट लेट हो गये ।'

'बस हो गया काम ख़त्म । चलते हैं अब ।' कंडक्टर ने टेढ़ा मुंह बनाकर कहा और बस चलाने के लिए सीटी मार दी ।

'रोक के...रोक के...' एक सूटेड-बूटेड आदमी ने ऊंची आवाज़ में कहा और उछल कर अपनी सीट से दूर खड़ा हो गया ।'

'क्या बात हो गयी है अब ।' कंडक्टर ने आश्चर्य से

बनेगी सटीक परमाणु घड़ी

पृथ्वी पर सबसे सटीक घड़ी बनायी जाएगी । यह घड़ी ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक 1/20 सेकेंड ही आगे या पीछे होगी । यह घड़ी परमाणु घड़ी से 100 गुना अधिक सटीक होगी । प्रस्तावित घड़ी 14 अरब सालों में सेकेंड का 1/20 भाग ही आगे या पीछे होगी । ब्रह्मांड का जन्म भी 14 अरब साल पहले हुआ था । अभी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क और जी॰पी॰एस॰ सिस्टम का समय परमाणु घड़ियों के आधार पर सेट किया जा रहा है । प्रस्तावित घड़ी में परमाणु के अन्दर इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रान 'पेंडुलम' का काम करेगा ।

पूछा । 'यहां किसी ने उल्टी की है । मैं नहीं बैठ सकता यहां । पहले इस जगह को साफ़ कनवाइये ।'

'उल्टी किसने कर दी ।' कंडक्टर ने अज्ञानता दर्शाते हुए कहा । शायद किसी यात्री ने रात में की थी । या सवेरे डीजल की बदबू के कारण कोई बैठा हुआ व्यक्ति उल्टी करके खिसक गया होगा । मुंह बाहर करके कंडक्टर ने बाबू से पूछा, 'यहां कोई सफ़ाई वाला तो नहीं दिखायी दे रहा है ?'

'नहीं । दिखायी तो कोई नहीं दे रहा है । आता ही होगा कहीं से ।' सफ़ाई वाले की प्रतीक्षा में बस एक अनिश्चित समय के लिए कैसे रोकी जा सकती थी । पर एक संभ्रांत सवारी को सीट दिये बिना कंडक्टर बस चलवा भी कैसे सकता था ? और देर हो जाने के डर से वह घबरा गया था । सभी सवारियों को जल्दी मची हुई थी । पर किसी को कोई निदान नहीं सूझ रहा था ।

मेरे पास बैठा किसान यह तो समझ गया कि अब और देर लगेगी, पर उसे यह पता नहीं था कि क्यों देर लगेगी ।

'अब चलते क्यों नहीं ? क्या अड़चन पड़ गयी है ?' उसने मुझसे पूछा ।

मेरे उत्तर देने से पूर्व ही कंडक्टर ने उसके पास आकर कहा, 'भाई जी, ज़रा उठना तो यहां से ।'

'क्यों क्या बात है ?' किसान ने उठते हुए पूछा ।

'आओ, तुम्हें आगे वाली सीट देते हैं ।' और वह उसको पकड़ कर आगे ले गया । इशारे से उस सूटेड-बूटेड आदमी को उस किसान वाली सीट पर बैठने के लिए कह दिया ।

उल्टी वाली सीट के पास जाकर कंडक्टर ने कहा, 'आ बैठ जा इधर ।' फिर उसने प्रसन्नतावश ज़ोर से सींटी बजायी और बस चल पड़ी । 'यह सीट तो गंदी है । मैं नहीं बैठूंगा यहां ।' किसान ने शोर मचाया ।

'ज़बान बंद रख । अगले अड्डे पर दूसरी सीट दे देंगे ।' कंडक्टर ने मीठी चुटकी लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा ।

किसी ने भी कंडक्टर को नहीं टोका । इसके विपरीत सभी ने सुख की सांस ली । बस लेट न होने देने के लिए हम इस से खुश थे । मुश्किल से तो उसे समस्या का समाधान मिल पाया था ।

■ घनश्याम रंजन

(पंजाबी से अनुवाद)

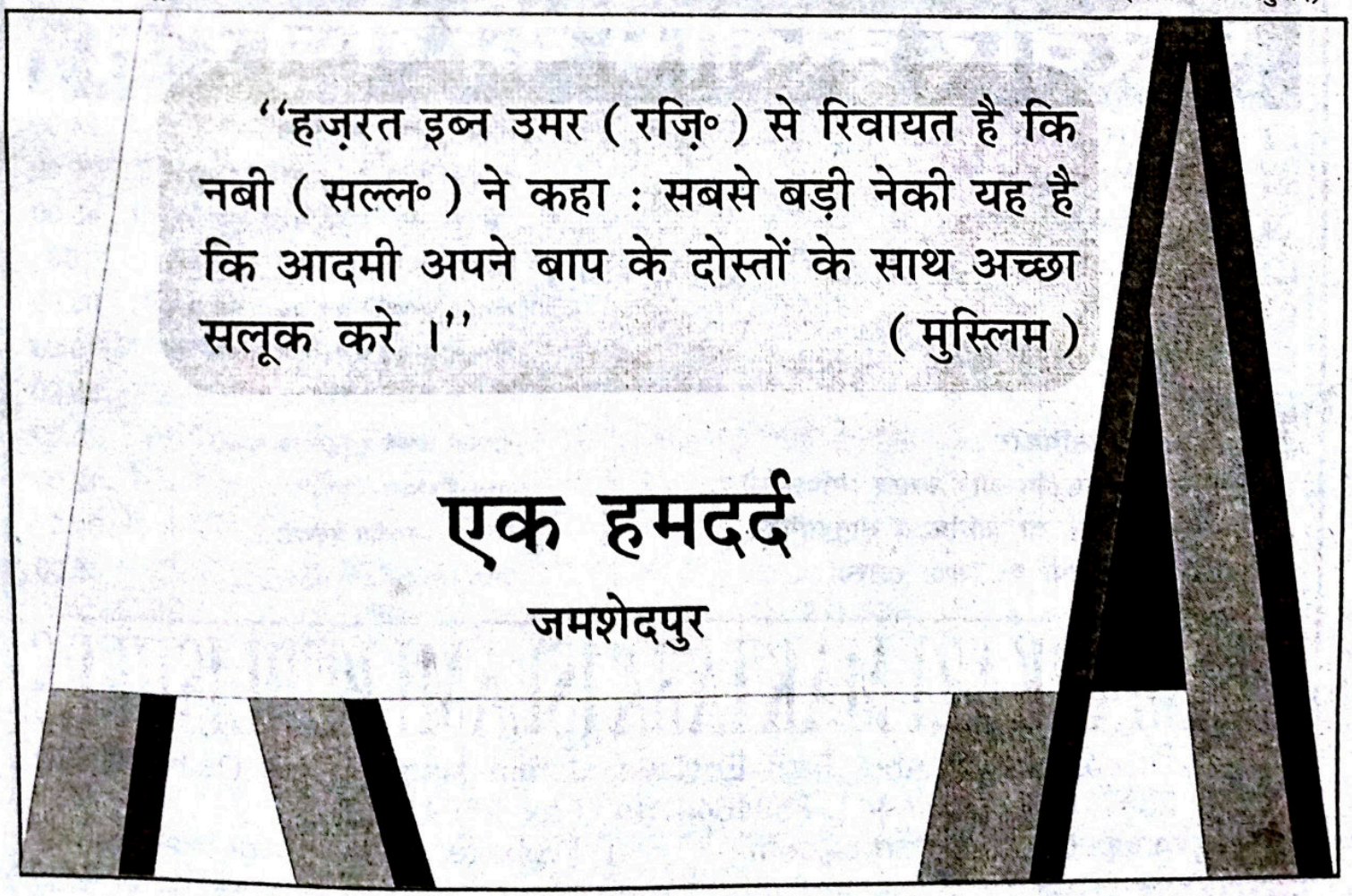

हज़रत मुहम्मद(सल्ल०) की जीवनी

हज़रत मुहम्मद(स०) जीवन और संदेश	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
प्यारे नबी कैसे थे?	इरफ़ान ख़लीली	16.00
प्यारे नबी ऐसे थे !	माइल ख़ैराबादी	10.00
जगत-गुरु	अबू ख़ालिद	40.00
जीवनी हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मु० इनायतुल्लाह सुब्हानी	90.00
बड़ों की माँए	माइल ख़ैराबादी	12.00
रह्मतुल-लिल-आलमीन	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
विश्व-नायक	डॉ० कौसर यज़दानी नदवी	30.00
विश्व-नेता हज़रत मुहम्मद (सल्ल०)	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
हज़रत मुहम्मद : एक संक्षिप्त परिचय	डॉ० मुहम्मद अहमद	6.00
हज़रत मुहम्मद एक महान समाज सुधारक	प्रो० मिर्ज़ा रफ़ीउद्दीन अहमद	10.00
हज़रत मुहम्मद का आदर्श	श्री नाथूराम	16.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल० का संदेश	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
हज़रत मुहम्मद सल्ल०के संदेशों के मूल तत्त्व	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	4.00
आख़िरी नबी (सल्ल०)	हमूदा अब्दुल आती	05.00
अल्लाह के रसूल का व्यावहार अपने शत्रुओं के साथ	मुहम्मद फ़ारूक़ ख़ाँ	08.00
क्रान्ति-दूत हज़रत मुहम्मद सल्ल०	नईम सिद्दीक़ी	70.00

परिवार इस्लाम की नज़र में

औरत और इस्लाम	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	24.00
औरत और प्राकृतिक नियम	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इस्लाम और बर्थ कंट्रोल	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	45.00
नारी और इस्लाम	मक़बूल अहमद फ़लाही	6.00
परदा	मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी	90.00
परिवार इस्लाम की नज़र में	मौलाना सय्यद जलालुद्दीन उमरी	10.00
बहुविवाह	मौलाना सय्यद हामिद अली	50.00
माँ-बाप के अधिकार	मौलाना सय्यद लुत्फ़ुल्लाह क़ादरी	20.00
मुस्लिम पर्सनल ला और समान सिविल कोड	शम्स पीरज़ादा	12.00
मुस्लिम पर्सनल ला धार्मिक व सामुदायिक...	मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही	6.00
मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा समस्या...	उमर अफ़ज़ल	35.00

MARKAZI MAKTABA ISLAMI PUBLISHERS

D-307, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-110025
Phone: 26971652, 26954341, 26946447(D) Fax: 26947858
E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

निर्दोषों की गिरफ़्तारी व रिहाई

● संपादन प्रभाग

(1) मुहम्मद आमिर ख़ान

गिरफ़्तारी : फ़रवरी 1998, आज़ाद मार्केट (दिल्ली) स्थित घर से ।

आरोप : दिल्ली, रोहतक, सोनीपत, ग़ाज़ियाबाद में 1996-97 में हुए विस्फोट में शामिल ।

रिहा हुए : अदालत के आदेश पर जनवरी 2012 को रिहा, दो मामले चल रहे हैं ।

(2) अतहरुद्दीन

गिरफ़्तार : लखनऊ (उ०प्र०) से ।

आरोप : 22 दिसम्बर 2000 को लाल क़िला गोली कांड में शामिल । इसमें राजपूताना राइफल्स के दो जवान मारे गये थे ।

रिहा हुए : अदालत के आदेश पर मार्च 2012 में ।

(3) मेराजुद्दीन

गिरफ़्तार : 29 मार्च 2006, आज़ादपुर, दिल्ली से ।

आरोप : दो किलो आरं०डी०एक्स० के साथ विस्फोट के इरादे से दिल्ली आये, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ।

रिहा हुए : अदालत के आदेश पर दिसम्बर 2008 में ।

(4) अब्दुर्रहमान

गिरफ़्तार : नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 21 मई 2008 को ।

आरोप : हूजी का आतंकी, विस्फोट के इरादे से विस्फोटक के साथ दिल्ली आये ।

रिहा हुए : अदालत के आदेश पर नवम्बर 2011 को ।

(5) अमानुल्लाह, नज़ाकत हुसैन समेत 14 लोग

गिरफ़्तार : राजस्थान के विभिन्न ज़िलों से ।

आरोप : सिमी के सदस्य एवं 2008 में जयपुर में हुए ब्लास्ट में शामिल ।

रिहा हुए : जनवरी 2012, कोर्ट के आदेश पर 11 लोग रिहा ।

(6) नज़ीर अहमद

गिरफ़्तार : 4 जून 2005 को दरियागंज, दिल्ली से ।

आरोप : हिज्ब-ए-इस्लामी का आतंकी, विस्फोटक रखने के दोषी ।

रिहा हुए : दिसम्बर 2009 में, अदालत से ।

(7) अयाज़ अहमद

गिरफ़्तार : 22 जनवरी 2004 को दिल्ली से ।

आरोप : विस्फोटक रखने के दोषी और लश्करे तैयबा के आतंकी ।

रिहा हुए : नवम्बर 2012 को अदालत के आदेश से ।

(8) गुलज़ार अहमद, ग़ुलाम मुहीउद्दीन

गिरफ़्तार : 23 जनवरी 2003 को दिल्ली से ।

आरोप : गणतंत्र दिवस पर विस्फोट करने की साज़िश रचने, कई जगह हुए विस्फोट में शामिल, विस्फोटक रखने तथा हिजबुल के आतंकी ।

रिहा हुए : फ़रवरी 2007 को अदालत के आदेश पर ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता : दायित्व एवं सीमाएं

□ मुहम्मद सलीम इंजीनियर

फेस्टिवल के आयोजकों ने उस एक व्यक्ति को इतना महत्व दिया कि उस आयोजन में शरीक सैकड़ों ऐसे लेखक जो सलमान रुश्दी से कहीं ज़्यादा ऊंचा स्थान रखते हैं को नज़रअन्दाज़ या अपमानित किया गया। यह भी इन लेखकों और स्वयं फेस्टिवल के लिए हमारी निगाह में अन्याय है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन्सान को ईश्वर द्वारा दी गयी एक बहुत ही क़ीमती चीज़ है, इसका सीधा-सीधा संबंध मानव की गरिमा से है। ईश्वर ने इन्सान को सोचने, समझने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने एवं स्वतंत्र निर्णय लेने जैसी अमूल्य चीज़ें न सिर्फ़ प्रदान की हैं, बल्कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित करने की व्यवस्था भी कर दी है। यह स्वतंत्रता और इसका सही प्रयोग ही इन्सान को इस जीवन में और मृत्यु के बाद अनंत पारलौकिक जीवन में सफल बनाता है। भारत के संविधान में भी और संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार चार्टर में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूलभूत अधिकारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

आज इस बात पर बहस चल रही है कि क्या अभिव्यक्ति की यह स्वतंत्रता (जिसमें लिखने, बोलने व अन्य तरीक़ों से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता शामिल है) असीमित है या इसकी कोई सीमा भी तय होनी चाहिए ? बहस का दूसरा पहलू यह भी है कि अभिव्यक्ति की इस स्वतंत्रता के साथ दूसरे व्यक्तियों के समाज के प्रति कुछ दायित्व भी होने चाहिए या इन्सान दायित्व विहीन होकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी स्वतंत्रता और अधिकार का ही प्रयोग करे, चाहे समाज या दूसरे व्यक्तियों पर उसके कैसे ही प्रभाव पड़ते हों ? इन सवालों पर भी हर प्रकार के पूर्वाग्रहों से आज़ाद होकर आपसी संवाद होना चाहिए और हर पक्ष की बात और उसके तर्कों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

अपने आपको उदारवादी और प्रगतिशील कहने वाले संभ्रांत वर्ग के आचरण से अक्सर यह आभास होता है कि वह अपने अलावा हर वर्ग को संकीर्ण और दकियानूसी समझता है और विशेष रूप से ईश्वर में विश्वास रखने वाले और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता व पहचान की रक्षा करने वाले वर्ग को तो यह नाम निहाद प्रगतिशील वर्ग इस लायक़ भी नहीं समझता कि उनके तर्कों और उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों से संबंधित बातों को ध्यान से सुने। क्या यह आचरण संकीर्ण सोच का परिचायक नहीं है ? धर्म, धार्मिकता और धार्मिक पहचान के बारे में उनका यह रवैया जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त है क्या एक ख़तरनाक क़िस्म की गुलामी नहीं है ? ऐसी सोच के साथ "प्रगतिशील" शब्द लगाना कैसा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान जो बहुत सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीक़े से पैदा करने की कोशिश पिछले तीन चार दशकों से की जा रही है वह यह कि धर्म के ख़िलाफ़, धार्मिक आस्थाओं के ख़िलाफ़, धार्मिकता के ख़िलाफ़ और धर्म से जुड़े महान व्यक्तियों के ख़िलाफ़ और विशेष रूप से इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ लिखने के लिए लेखकों को उभारा या उकसाया जा रहा है। और इस काम के लिए ऐसे लेखकों को चुना जा रहा है जिनके नाम से ऐसा लगता हो कि वे भी उसी धर्म से संबंधित हैं, ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने ही धर्म से बग़ावत का एलान करें, उस धर्म के बारे में और महान पुरुषों, नबी, पैग़म्बर या उनके परिजनों के बारे में अनर्गल अमर्यादित भाषा का प्रयोग जान-बूझकर लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए करते हैं, पुरस्कार और सम्मान से नवाज़ा जाता है।

ऐसे स्वार्थी और ग़ैर ज़िम्मेदार लोग, सस्ती शोहरत, जल्दी मिलने वाली दौलत के लालच में मानव गरिमा, दूसरे व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता व सम्मान सब भूलकर अपने स्वार्थ के लिए समाज की शान्ति को भी दाव पर लगाने से नहीं झिझकते।

मर्यादाओं की रक्षा आवश्यक

मैं अपने प्रगतिशील एवं उदारवादी भाई-बहनों से इतना निवेदन ज़रूर करना चाहूंगा कि वे अपने अलावा किसी और को प्रगतिशील और उदारवादी न समझने के भ्रम से बाहर निकलें और धर्म व धार्मिकता और धार्मिक पहचान के बारे में अपनी सोच और रवैये को उदार बनाने का प्रयास करें ।

विडंबना यह है कि सिर्फ़ अपने आपको मानव अधिकारों के रक्षक और प्रगतिशील कहने वाले हमारे भाई-बहन, अमर्यादित और अनर्गल भाषा का प्रयोग कर भावनाओं को भड़काने वाले स्वार्थी लेखकों के अधिकारों की रक्षा की बात करते वक़्त, जिनके सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता को रौंदने की कोशिश की गयी है, उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा को सिरे से भूल जाते हैं, बल्कि हमारे ये प्रगतिशील भाई-बहन अनर्गल व अमर्यादित भाषा के प्रयोग का शान्ति पूर्ण व क़ानून के दायरे में विरोध करने की स्वतंत्रता को भी, धर्म के विरुद्ध पूर्वाग्रहों की ग़ुलामी के कारण नकार देते हैं, क्या यह आचरण अन्याय पूर्ण नहीं है ?

आप स्वयं विचार करें । यही वह सोच है जो एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनकर आने वाली महिला सांसद को संसद में अपने सर पर स्कार्फ़ बांधने की इजाज़त नहीं देती, और उन्हें संसद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है, यही वह सोच है जिससे ग्रस्त अपने आपको मानव अधिकारों के रक्षक और प्रगतिशील कहते हैं मगर किसी लोकतांत्रित देश में लोकतांत्रिक तरीक़े से बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी को सिर्फ़ इसलिए सत्ता में आने से ताक़त के ज़रिये रोक दिया जाता है और सत्ता सेना के हवाले कर दी जाती है क्योंकि बहुमत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टी के लोग इस्लामी विचारधारा रखते हैं । हम मानव समाज को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, यह हम सब को गंभीरता से सोचना होगा।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे प्रगतिशील भाइयों के चहेते बदनाम लेखक सलमान रुश्दी के न आ सकने का उनको इतना अफ़सोस हुआ कि इसे अपनी हार मानकर उसका बदला लेने के लिए पिछले दिनों दिल्ली में आख़िरकार किसी तरह उन्हें बुला ही लिया । ऐसा करके आयोजकों ने इस संदेश को दोहराया है कि इस्लाम, मुसलमान और मुसलमानों को आहत करने वाले और भावनाओं को भड़काने वाले निम्नस्तरीय लेखकों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने का काम वे करते रहेंगे । दूसरों पर संकीर्णता का आरोप लगाने वाले और अपने आपको उदार एवं प्रगतिशील कहने वाले हमारे ये भाई इस्लाम और मुसलमानों या धर्म के बारे में इतने संकीर्ण क्यों हो जाते है ?

जिस कार्यक्रम में सलमान रुश्दी को बुलाया गया था उसमें कई अन्य लोगों को भी आना था, हालांकि राजनीतिक लोगों की बहुत-सी बातों में असहमति के बावजूद केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, यू॰पी॰ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर एवं अब राजनीतिज्ञ इमरान ख़ान का सलमान रुश्दी के साथ मंच पर न आने का निर्णय, हमारी निगाह में हिम्मत और हौसले का निर्णय है, और इसका संदेश राजनीतिक होने के साथ-साथ सामाजिक ज़्यादा नज़र आता है ।

दूसरों के विचारों, आस्थाओं, धार्मिक पहचान एवं धार्मिक महापुरुषों का अपमान करने वाले एवं सस्ती शोहरत और दौलत के लिए भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों को ऐसा संदेश मिलता रहे तो, ऐसी संकीर्ण मानसिकता को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सलमान रुश्दी के शामिल न हो सकने का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों, मुस्लिम संगठनों पर थोप कर उन्हें बदनाम करने एवं उनकी छवि संकीर्ण और असहनशील (Intolerant) होने की बनायी गयी, यह काम पहले से भी होता रहा है ।

यह बात सच है कि मुसलमान चाहते थे कि वह व्यक्ति जिसने उनकी भावनाओं को आहत किया है, इस कार्यक्रम में न आये और ऐसा चाहना और उसे प्रकट करना और उसके लिए शान्तिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीक़े से विरोध करना मुसलमानों का अधिकार है ।। इस अधिकार से उन्हें कैसे संचित किया जा सकता है और अगर वे अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करें तो उन्हें कट्रपंथी, संकीण कहा जाए, यह कैसा न्याय है ?

इस पूरे प्रकरण में मुस्लिम संगठनों ने तो जयपुर में कोई प्रदर्शन भी नहीं किया (क्योंकि उसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आयी) और न ही क़ानून के ख़िलाफ़ कोई बात कही जा सकी । मुस्लिम संगठन सिर्फ़ यह कहते रहे, आयोजकों और सरकार को अपना यह पक्ष बताते रहे कि उस व्यक्ति के आने से अपसी सौहार्द के बिगड़ने की आशंका है, और अगर वह व्यक्ति इस कार्यक्रम में शरीक होने यहां आता है तो क़ानून के दायरे में रहते हुए विरोध प्रदर्शन कर उस व्यक्ति के अमर्यादित आचरण पर अपना विरोध जताना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है । उस व्यक्ति के न आने का निर्णय या तो उस व्यक्ति का है या सरकार का मुसलमानों को इसके लिए बदनाम कर उनकी छवि बिगाड़ी गयी, क्योंकि यह निर्णय उनकी पसन्द का था ।

फेस्टिवल के आयोजकों ने उस एक व्यक्ति को इतना महत्व दिया कि उस आयोजन में शरीक सैकड़ों ऐसे लेखक जो सलमान रुश्दी से कहीं ज़्यादा ऊंचा स्थान रखते हैं को नज़रअन्दाज़ या अपमानित किया गया । यह भी इन लेखकों और स्वयं फेस्टिवल के लिए हमारी निगाह में अन्याय है ।

ऐसा लगता है कि फेस्टिवल को इस तरह की सनसनी के माध्यम से प्रचारित करने के लिए आपसी सौहार्द और सामाजिक शान्ति को दांव पर लगाया गया, हमारी निगाह में यह एक आपराधिक मानसिकता है इसे रोका जाना चाहिए ।

मैं अपने प्रगतिशील एवं उदारवादी भाई-बहनों से इतना निवेदन ज़रूर करना चाहूंगा कि वे अपने अलावा किसी और को प्रगतिशील और उदारवादी न समझने के भ्रम से बाहर निकलें और धर्म व धार्मिकता और धार्मिक पहचान के बारे में अपनी सोच और रवैये को उदार बनाने का प्रयास करें, क्योंकि साम्प्रदायिकता, फासीवाद और मानव अधिकारों का हनन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सब साथ काम करते आये हैं और इन मुद्दों पर और ज़्यादा मज़बूती से संगठित होकर काम करना देश को ग़लत रास्ते पर आने से रोकने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है । इसलिए हमें चाहिए कि हम एक-दूसरे से असहमत होते हुए भी विचारों, आस्थाओं और धार्मिक स्वतंत्रता व धार्मिक पहचान का सम्मान करें और आपसी संवाद और जिन मुद्दों पर सहमति है उनमें आपसी सहयोग को और मज़बूत करें । यही इस देश व समाज के हित में है ।

Prop : Abid Hussain
09413037652
09252235194

Shop : Mujahid Hussain
09214747172

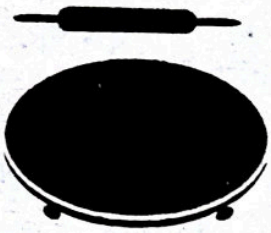

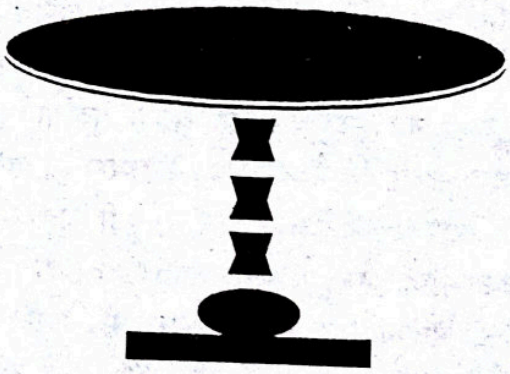

कान्ति मार्बल हैंडीक्राफ्ट

सभी प्रकार के वन पीस और ज्वाइंट पीस चकलों के निर्माता व थोक विक्रेता, मार्बल के फव्वारे तथा टेबल, टेलीफ़ोन स्टेंड, नोजल लैंप, गमले, घड़ी व फैंसी आइटम

Shop : Hotel Moti Mahal, Manglana Road, Makrana-341505
Fact : Bypass Mor, Opp : Sai Kirpa Petrol Pump, Makrana Road, Borawad (Raj.)

सौहार्द को पुष्पित करें

■ राम पुनियानी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा फैलाने वाली बातें कहने के अधिकार के बीच बहुत स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं है । बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति की विचारधारा और उसका अस्ली मंतव्य क्या है । दूसरी ओर, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रजातंत्र द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल, कहीं प्रजातंत्र को ही समाप्त करने के लिए न होने लगे । दूसरे शब्दों में, चुनौती यह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था की चहारदीवारी में रहते हुए, घृणा फैलाने वाली विचारधाराओं और व्यक्तियों से किस तरह निपटा जाए ताकि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर संकीर्ण सोच का इस्तेमाल, प्रजातंत्र में ही पलीता लगाने के लिए न कर सकें ।

इन सब मुद्दों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है, लगभग अस्तित्वहीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा एक राष्ट्रीय दैनिक में कुछ समय पहले लिखे गए एक लेख से । इस लेख का शीर्षक है 'हाऊ टू वाईप आउट इस्लामिक टैरोरिज़्म' (इस्लामिक आतंकवाद का ख़ात्मा कैसे हो)। यह लेख दिनांक 16 जुलाई, 2011 को प्रकाशित हुआ है और इसे मुंबई बम धमाकों (13 जुलाई 2011) की प्रतिक्रियास्वरूप लिखा गया है । इस लेख में स्वामी कहते हैं कि आतंकी हमले, मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा किये जा रहे हैं और इनका लक्ष्य हिन्दुओं को हलाल करना है । वे कहते हैं कि इस्लामिक ताक़तें, भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहती हैं और यह इस्लाम के वैश्विक एजेंडे का हिस्सा है । उनकी मांग है कि हिन्दू धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में धर्मान्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किया जाए, अयोध्या और वाराणसी में भव्य मंदिर बनें और यदि मुसलमान यह स्वीकार नहीं करते कि उनके पुरखे हिन्दू थे तो उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जाए ।

स्वामी के इस लेख पर कई प्रतिक्रियाएं हुई हैं । जहां अनेक लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे स्वामी से क़तई सहमत नहीं हैं वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है । आयोग का कहना है कि स्वामी का लेख, दो समुदायों के बीच वैरभाव पैदा करने वाला है और इसलिए उनके विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ।

हावर्ड विश्वविद्यालय, जहां स्वामी कुछ समर कोर्स पढ़ाते हैं, के छात्रों ने यह मांग की है कि स्वामी के ख़तरनाक व विघटनकारी विचारों के चलते, विश्वविद्यालय को उनकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए । इस मांग को काफ़ी समर्थन मिला परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वामी की सेवाएं बरक़रार रखने का निर्णय लिया क्योंकि उसका मानना था कि अकादमिक दुनिया में हर व्यक्ति को अपने विचार खुलकर प्रकट करने की आज़ादी होनी चाहिए । यह बहुत अजीब-सा तर्क है, क्योंकि इसके पूर्व हावर्ड कई शिक्षकों को घृणा फैलाने वाली बातें कहने या लिखने के आरोप में बाहर का दरवाज़ा दिखा चुका है ।

स्वामी के विचार लगभग वही हैं जो कि आर॰एस॰एस॰ के गोलवलकर, सुदर्शन व अन्य विचारकों द्वारा समय-समय पर व्यक्त किये जाते रहे हैं । स्वामी ठीक वही कह रहे हैं जो संघ की हिन्दुत्व विचारधारा कहती है । आर॰एस॰एस॰ की विचारधारा के अनुसार, भारत एक हिन्दू राष्ट्र है और जैसा कि गोलवलकर ने लिखा है, अगर मुसलमान हिन्दुओं के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते तो उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए । संघ के एक अन्य सरसंघचालक सुदर्शन ने तो यहां तक कहा है कि भारतीय संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर हिन्दू धर्मग्रंथों के सिद्धांतों के अनुरूप देश का शासन चलाया जाना चाहिए । शायद सुदर्शन यह चाहते हैं कि देश का शासन, मनुस्मृति के आधार पर चलाया जाए । हिन्दू राष्ट्र की विचारधारा ही बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए मुसलमानों के क़त्लेआम के लिए ज़िम्मेदार है ।

भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाना, संघ और स्वामी जैसे उसके पिछलग्गुओं का लक्ष्य है। स्वामी, मुसलमानों के प्रति अपनी घृणा को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सैम्युल हमिंग्टन के "सभ्यताओं के टकराव" के सिद्धांत का भी इस्तेमाल करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, जाहिल और पिछड़ी हुई इस्लामी सभ्यता, उन्नत पश्चिमी सभ्यता की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। इसी सिद्धांत की आड़ लेकर अमेरिका ने पश्चिम एशिया के अनेक मुस्लिम देशों पर सैनिक आक्रमण किये थे और यह मात्र संयोग नहीं है कि ये सभी देश, कच्चे तेल के विशाल भंड़ारों के मालिक हैं।

स्वामी की भाषा और उनके तेवर डरावने हैं और भविष्य में पैदा हो सकने वाले एक बड़े ख़तरे की ओर संकेत करते हैं। स्वामी के विचार, दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों के ख़िलाफ़ भी हैं। इनमें से पहला है भारत का संविधान जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित है और सभी नागरिकों को–चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों न हो–समान अधिकार देता है। स्वामी जो कुछ कह रहे हैं वह भारतीय संस्कृति और उसकी उज्ज्वल सांझी विरासत के ख़िलाफ़ भी है।

इस विरासत के प्रतीक हैं कबीर और निज़ामुद्दीन औलिया जैसे संत। यह वह संस्कृति है जिसमें अपने धर्मों को परे रखकर, सभी नागरिक एक दूसरे के दुख-सुख में भागी बनते हैं। स्वामी का विषवमन, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उन सैकड़ों-हज़ारों वीरों के जीवन व विचारों का अपमान है जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अथक प्रयास किये।

स्वामी के विचार, संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय-समय पर जारी घोषणापत्रों के भी विरुद्ध हैं–विशेषकर उस घोषणा पत्र के, जिसे "सभ्यताओं का गठजोड़" का नाम दिया गया था और जिसे कई देशों के विद्वतजनों की एक उच्चस्तरीय समिति ने तैयार किया था। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज़ कहता है कि अगर हमारी दुनिया ने प्रगति की है तो इसका कारण विभिन्न सभ्यताओं की अंत:क्रिया है। मानवजाति और संस्कृति के विकास में सभी सभ्यताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

दरअसल, स्वामी जो कुछ बहुत नंगे शब्दों में कह रहे हैं वही बातें भाजपा, विहिप, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम व संघ परिवार के अन्य सदस्य अलग शब्दों व भाषा में कहते आये हैं। यह वही विचारधारा है जिसे संघ अपने विभिन्न प्रकाशनों द्वारा देश भर में फैला रहा है और जिसमें ओतप्रोत पाठ्य-पुस्तकें, संघ द्वारा संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों को पढ़ायी जा रही हैं। मीडिया का एक हिस्सा भी इस काम में संघ का हाथ बंटा रहा है।

इसी तरह, "सभ्यताओं के टकराव" के सिद्धांत की स्वीकार्यता बढ़ाने में अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। मीडिया के पूर्वाग्रहपूर्ण रवैये का एक नमूना यह है कि नार्वे में हुए क़त्लेआम को बिना किसी जांच या प्रमाण के मीडिया ने अल-क़ायदा की कारगुज़ारी बता दिया। बाद में यह सामने आया कि यह क़त्लेआम, नार्वे के ही एक ईसाई कट्टरपंथी नागरिक द्वारा अंजाम दिया गया था। एक तरह से स्वामी ने संघ की विचारधारा और अमेरिकी दुष्प्रचार की खिचड़ी अपने लेख में प्रस्तुत की है। इस तरह के मानवता-विरोधी विचारों से हिंसा व घृणा को बढ़ावा मिलना अवश्यंभावी है और ये विचार, संयुक्त राष्ट्र व भारतीय संविधान में निहित नैतिक मूल्यों के ख़िलाफ़ भी हैं। सवाल यह है कि इस हालात में हम क्या कर सकते हैं ?

सन 1992 के मुंबई दंगों के ठीक पहले, शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी सुप्रीमो बाल ठाकरे ने हिन्दुओं का आह्वान किया था कि वे हथियार उठाएं। उस समय कई सामाजिक संगठनों ने यह मांग की थी कि घृणा फैलाने वाली बातें लिखने और बोलने के लिए ठाकरे को क़ानून के अनुसार सज़ा दी जानी चाहिए। अदालत ने इस मांग को ठुकरा दिया। तोगड़िया अपने हर भाषण, हर लेख में ज़हर उगलते हैं परंतु हम कुछ नहीं करते। आख़िर हमारा देश आज़ाद है ! हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है !

इससे भी एक क़दम आगे बढ़कर, हिटलर ने प्रजातंत्र द्वारा दिये गये अधिकारों का घोर दुरुपयोग किया था। इसके बाद जर्मनी एक फासीवादी राष्ट्र बन गया। प्रजातंत्र, चुपचाप, अपने ही ख़ात्मे का मूक दर्शक बना रहा। प्रश्न यह है कि बहुवाद पर आधारित प्रजातंत्र, क्या उन शक्तियों को

जो चाहे करने और कहने की इजाज़त दे सकता है, जो उसकी नींव पर ही प्रहार कर रही हैं ? क्या बिना किसी रोक-टोक के तोगड़ियों और स्वामियों को धर्म के नाम पर समाज को विभाजित करने की इजाज़त दी जा सकती है ?

''अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता'' और ''नफ़रत की तिजारत'' के बीच की पतली विभाजक रेखा को गहरा किये जाने की ज़रूरत है । तभी हम मनुष्य और मनुष्य के बीच सौहार्द को बढ़ावा दे सकेंगे, तभी बहुवाद पुष्पित-पल्लवित हो सकेगा और तभी विभिन्नताएं हमारी ताक़त बन सकेंगी । ऐसे वातावरण में ही मानवता की प्रगति हो सकती है और समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है । समाज को बांटने वाली ताक़तों से अत्यन्त कड़ाई से निपटने की ज़रूरत है।

(लेखक आई॰आई॰टी॰ मुंबई में पढ़ाते थे, और सन 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)

कश्मीर के डॉक्टरों ने बनाया बकरी का क्लोन

जम्मू-कश्मीर के शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ने विश्व में पहली बार पश्मीना बकरी की प्रतिकृति 'क्लोन' बनाकर भारत का परचम दुनिया में लहरा दिया है । इस बकरी का जन्म गत 9 मार्च को हुआ और उसका स्वास्थ्य बेहतर है ।

विश्वविद्यालय से जुड़े अधिकारियों ने गत दिनों बताया कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के एक दल ने एनीमल बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ॰ रियाज़ अहमद शाह के नेतृत्व में यह सफलता हासिल की ।

इसमें डॉ॰ नज़ीर अहमद गनाई, डॉ॰ हिलाल मुसादिक़, डॉ॰ मुज़ीब फ़ाज़िली, डॉ॰ एफ॰डी॰ शेख़, डॉ॰ टी॰ए॰एस॰ गनाई, डॉ॰ सैयद हिलाल, माजिद हसन और फ़िरदौर ख़ान शामिल थे ।

इस टीम ने दो वर्षों की अथक मेहनत की और उनकी सफलता की कहानी अब लोगों के सामने है । इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने धन उपलब्ध कराया है । विदित हो कि श्री रियाज़ के नेतृत्व में वर्ष 2009 में वैज्ञानिकों के एक दल ने विश्व के पहले भैंस क्लोन गरिमा को जन्म देने में यह सफलता हासिल की थी ।

अरविन्द कुमार सिंह राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष निर्वाचित

● संपादन प्रभाग

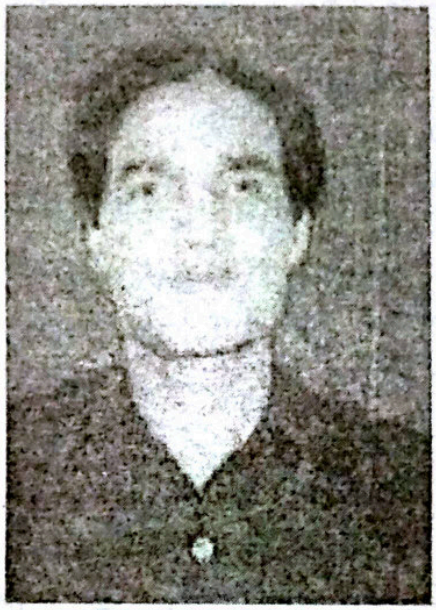

दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविन्द कुमार सिंह को सर्व-सम्मति से राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसो सिएशन का दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है ।

प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया में गत 12 अप्रैल को आयोजित एक विशेष बैठक में उन्हें यह पदभार सौंपा गया । जाने-माने पत्रकार एवं एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री शिवेन्द्र प्रकाश द्विवेदी ने उनके नाम का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया । श्री द्विवेदी ने एसोसिएशन के उद्देश्यों और भावी कार्यक्रमों की संक्षेप में रूपरेखा पेश की । उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रहे मूल्य ह्रास पर चिंता जतायी ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह ने एसोसिएशन को व्यापक आधार देने पर बल दिया । साहित्यकार एवं दिल्ली यूनीवर्सिटी की सहायक प्रोफ़ेसर डॉ॰ (मिसेज़) कमल कुमार ने सांगठनिक विस्तार पर प्रकाश डाला । 'कान्ति' (साप्ताहिक/मासिक) एवं 'सदाकांक्षा' के संपादक डॉ॰ मुहम्मद अहमद ने एसोसिएशन के उद्देश्यों के प्रति सहमति प्रकट की ।

लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार श्री प्रेम जनमेजय ने श्री सिंह को एसोसिएशन की संविधान-प्रति भेंट की । इस अवसर पर कई वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार उपस्थित थे ।

ISLAMIC CAREER CIRCLE

(VOLUNTARY ASSOCIATION= GOVT. REGD.)

ZAKIRNAGAR, P.O.-AZADNAGAR, JAMSHEDPUR-832110, JHARKHAND

OUR PERFORMANCE

- Helping 100 Orphans Student for their education.
- Financially Supporting to Orphan Students selected for higher & technical education.
- Helping, Destitute, Indigent, Needy and Poor Patients daily.
- Paying Financial Assistance to Handicapped People.
- Paying Financial Assistance to Widows.

Please visit the Circle

See our practical and charitable work, everything open-account charted, budget for 2011-2012 is about 10 Lacs.

PROF. AATIF GULREZ
Director Administration
Mob. No. : 09234702342
E-Mail ID :
aatifali2k3@gmail.com
Fax No. : 0657-2364495

Pay your contribution to :

Islamic Career Circle
Union Bank of India
A/c No. : 544502010005531
IFSC Code : UBIN 0554456
Bank Code : 026
MICR Code : 831026005
Branch Code : 554456
SWIFT Code : UBININBBAFAM
Branch : Mango, Jamshedpur

महिलाओं के विरुद्ध अपराध : एक गंभीर सामाजिक समस्या

❖ कल्याणी कुमारी
(शोधार्थी, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा)

आज हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में देखा जा रहा है । ये अपराध चाहे दहेज प्रथा के रूप में हो, बलात्कार के रूप में हो, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अथवा शोषण के रूप में हो या किसी और रूप में, इस तरह के अपराध लगातार हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं और इसकी दर में लगातार हो रही वृद्धि चिंता का विषय है । अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता किसी विशेष परिप्रेक्ष्य को सामने रखकर, समाज और सामाजिक व्यवहारों घटनाओं को समझने का प्रयास करेगा । हम समाजशास्त्रियों के विचारों एवं कार्यों पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि कुछ ने अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया । तथ्यों को ठीक ढंग से पेश किया और सही ढंग से उन तथ्यों का विश्लेषण किया गया ।

आज इस तरह के अध्ययनों की विशेष रूप से आवश्यकता महसूस की जा रही है, जबकि इस तरह का अध्ययन बहुत कम हुआ है । प्राचीन काल में समाज में महिलाओं की इज़्ज़त की जाती थी, आज उसी समाज में महिलाओं की न केवल उपेक्षा की जाने लगी है, अपितु महिलाएं उत्पीड़न और प्रताड़ना की शिकार होने लगी हैं । "क्राइम इन इंडिया–2004" के अनुसार देश में हर 29 मिनट में एक बलात्कार, 15 मिनट में एक छेड़छाड़, 23 मिनट में एक अपहरण, 75 मिनट में एक दहेज हत्या का अपराध होता है । यह स्वास्थ्य समाज की पहचान नहीं है बल्कि एक बीमार विकारग्रस्त समाज की तस्वीर पेश करने वाले तथ्य हैं । आज समाज में स्त्रियों के प्रति जो घृणित प्रवृति का विकास होता जा रहा है उससे समाज को उबारने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

आज भारतीय समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, इन अनेक समस्याओं में स्त्रियों के विरुद्ध अपराध की समस्या सबसे अधिक ज्वलंत और जटिल है । यह समस्या समाज वैद्धानिकों तथा शोधकर्ताओं का जितना ध्यान आकर्षित करती है, अन्य कोई समस्या नहीं करती । महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारतीय समाज की कोई नयी समस्या नहीं है । भारतीय समाज की महिलाएं लंबे समय से अवमानना, यातना और शोषण की शिकार हो रही हैं ।

आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं के अधिकारों की गारंटी दी गयी है । फिर भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध की संख्या में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जा रही है । आज भी महिलाओं को पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है । इसी प्रकार आज भारतीय समाज में महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों का जीता-जागता नमूना पेश करता है, इसलिए समाज चिंतकों, शोधकर्ताओं को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि समाज को इस रोग से मुक्त किया जा सके ।

सामाजिक संस्थाओं में परिवार तथा विवाह प्राथमिक संस्थाएं हैं । प्राचीनकाल में विवाह को धार्मिक संस्कार माना जाता था । यही कारण था कि न तो तलाक़ की समस्या थी और न ही परिवार विघटित होता था । ऐसे समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध नहीं देखा जाता था । परंतु आज के आधुनिक युग में लोग शहरों में रहने लगे हैं, प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है । शादी में दहेज का प्रचलन बढ़ा है, ऐसे में महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी बढ़ा है । इस संदर्भ में उक्त विषय पर शोधकार्य नहीं के बराबर हुए हैं । फिर भी यह कहा जा सकता है कि आज पति-पत्नी में तनाव की स्थिति का दंश पत्नी को भोगना पड़ता है । यह स्थिति

بسم الله الرحمن الرحيم

"अल्लाह की बन्दगी
करो और उसके साथ किसी
को साझी न ठहराओ । और अच्छा
व्यवहार करो माता-पिता
के साथ, नातेदारों, अनाथों, मोहताजों,
नातेदार पड़ोसियों के साथ, और
अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ
रहने वाले व्यक्ति के साथ और
मुसाफ़िर के साथ और
उनके साथ भी जो तुम्हारे
क़ब्ज़े में हों ।"

(क़ुरआन, 4:36)

A Well Wisher
Azad Nagar, Jamshedpur

महिला अपराध को जन्म देती है । संचार माध्यम प्रतिदिन ऐसे समाचार देते रहते हैं, जिनमें पुरुषों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध घटित होते हैं, जैसे महिला को जलाया जाना, पत्नी को ज़हर देना, महिला का उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, यातना, शोषण इत्यादि देखने को मिल रहा है जो समाजशास्त्रियों के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए आज ऐसे अध्ययनों की आवश्यकता और अधिक महसूस की जा रही है ।

राम आहूजा ने नारी के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है–

आपराधिक हिंसा के श्रेणी में उन अपराधों को रखा जा सकता है जो कि पुरुष द्वारा नारी के अति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किये जाते हैं । बलात्कार, अपहरण तथा हत्या इस प्रकार के अपराधों के प्रमुख उदाहरण हैं । इनका संक्षित विवेचन इस प्रकार है–भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए बलात्कारी को आजीवन कारावास तक की सज़ा से दंडित करने का प्रावधान है । धारा 375 में बलात्कार के अपराध की विस्तृत व्याख्या की गयी है । जब कोई पुरुष किसी स्त्री से, उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना या मृत्यु का भय देकर सम्मति से मैथुन करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है । वैसे तो बलात्कार की घटनाएं संसार के सभी देशों में होती हैं, फिर भी भारत जैसे देश में ऐसी घटनाओं में वृद्धि से चिंता होना स्वाभाविक ही है । बलात्कार दो प्रकार के हैं–(क) जिसमें कोई अकेला व्यक्ति बलात्कार करता है, तथा (ख) जिसमें एक से अधिक व्यक्ति सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं । भारत में दोनों प्रकार के बलात्कारों की संख्या में वृद्धि हो रही है ।

राम आहूजा ने बलात्कार की शिकार 42 नारियों के अपने अनुभविक अध्ययन में निष्कर्ष निकाले हैं कि बलात्कार पूर्णत: अजनबी लोगों द्वारा नहीं होता, आधे मामलों में नारियां बलात्कारियों से परिचित थीं । 10 में से 9 बलात्कार परिस्थितिवश होते हैं । प्रत्येक पांच में तीन (58.0 प्रतिशत) बलात्कार एकाकी बलात्कार होते हैं, पांच में से एक (21.0 प्रतिशत) सामूहिक बलात्कार होते हैं । दस में से 9 बलात्कारों में शारीरिक हिंसा या क्रूरता का अभाव होता है अर्थात अधिकांश मामलों में केवल प्रलोभन अथवा मौखिक दबाव का ही प्रयोग किया जाता है । तीन-चौथाई से कुछ कम (70.0 प्रतिशत) बलात्कार, बलात्कार की शिकार नारी या बलात्कारी के घरों में होते हैं, केवल एक-चौथाई (25. 0 प्रतिशत) ग़ैर-रिहाइशी भवनों में होते हैं। बलात्कार के मामलों में अधिकांशत: युवा ही शामिल होतें हैं । बलात्कार की शिकार नारियों की आयु 15 से 20 वर्ष तथा बलात्कारियों की आयु 23 से 30 वर्ष आयु समूह में सर्वाधिक होती है ।

आज समाजशास्त्रियों एवं समाज नियोजकों को इस बढ़ते हुए अपराध को रोकने हेतु गंभीरता से सोचना होगा ताकि इसके बढ़ते हुए आंकड़े कम हो सकें । भारत में बलात्कार के जो आंकड़े सन 1988 में उपलब्ध कराये गये हैं उनमें पता चलता है कि इसकी सर्वाधिक (64.1 प्रतिशत) शिकार 16 से 30 वर्ष की नारियां होती हैं । इसकी शिकार केवल ग़रीब नारियां ही नहीं होती अपितु मध्यवर्गीय कामकाजी नारियों को भी उनके सेवायोजकों द्वारा मौखिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है । जेल में बन्दी नारियों से जेल अधिकारियों, पूछताछ के लिए थाने में लायी गयी नारियों से पुलिसकर्मियों, नारी रोगियों से अस्पतालकर्मियों, गृह सेविकाओं से गृहस्वामियों तथा दैनिक वेतनभोगी नारियों से ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले बलात्कारों में भी कमी नहीं है । संक्षेप में मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि महिला के विरुद्ध अपराध चाहे दहेज प्रथा के द्वारा हो, बलात्कार के द्वारा हो या विभिन्न प्रकार के शोषण अथवा प्रताड़ना के द्वारा हो, समाज का यह दायित्व बनता है कि इस पर गंभीरता से सोचें तथा पूरी ईमानदारी से इस समस्या के निदान हेतु पहल करें ।

'सदाकांक्षा' 2011

'सदाकांक्षा' (2011) का अगला अंक विभिन्न विधाओं पर केन्द्रित होगा। रचनाकार बन्धुओं से निवेदन है कि विभिन्न विधाओं पर अपनी पांच उत्कृष्ट रचनाएं संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ 30 मई 2012 तक निम्नलिखित पते पर भिजवाने का कष्ट करें। 'सदाकांक्षा' के निरंतर प्रकाशन के लिए हमें आपका भरपूर सहयोग अपेक्षित है।

संपादक, 'सदाकांक्षा'
इस्लामी साहित्य संगम
2703, बारादरी, बल्लीमारान, दिल्ली-110006
ई-मेल : sadakanchha@gmail.com

प्रो॰ शरद नारायण खरे को साहित्य अकादमी अवार्ड



इतिहास के प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ॰ शरद नारायण खरे को उनकी श्रेष्ठ निबंध कृति 'विवेचना के स्वर' के लिए साहित्य अकादमी, म॰प्र॰ संस्कृति परिषद, भोपाल द्वारा राष्ट्रीय स्तर का ''माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड'' प्रदान कर सम्मानित किया गया ।

सम्मान में 51,000 रुपये की राशि, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल व साहित्य भेंट किया गया । इस अवसर पर प्रसिद्ध उपन्यासकार नरेन्द्र कोहली की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही ।

इसके अतिरिक्त हाल ही में प्रो॰ शरद नारायण खरे को उनकी एक दर्जन श्रेष्ठ कृतियों व फुटकर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित दस हज़ार रचनाओं, टी॰वी॰ कार्यक्रमों, मंचीय कवि सम्मेलनों, शोध व्याख्यानों के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा न्यास द्वारा आगरा में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में ''राष्ट्रभाषा स्वाभिमान अलंकरण'', विक्रमशिला विद्यापीठ, भागलपुर द्वारा ''भारतीय भाषा रत्न सम्मान'', शबनम साहित्य परिषद, सोजत सिटी द्वारा ''साहित्य सिद्धहस्त सम्मान'', नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर द्वारा ''राष्ट्रीय रत्न सम्मान'', हिमालय और हिन्दुस्तान फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा ''साहित्य सेवा सम्मान'' आदि प्रदान कर अलंकृत किया गया है । अभी तक प्रो॰ शरद नारायण खरे को कुल 300 से अधिक अलंकरण/सम्मान/पुरस्कार/ अभिनंदन प्राप्त हो चुके हैं ।

दोहे

जब-जब भी पर्दा उठा, दिखा अधूरा सत्य ।
अनदेखा ही रह गया, जीवन का नेपथ्य ।।
हरदम सच के नाम पे, थामे छल की मूठ ।
जीवन भर हमने लिया क़तरा-क़तरा झूठ ।।
मीत हुए न आप अभी, असत्य के अभ्यस्त ।
इसीलिए संतप्त हैं, इसीलिए संत्रस्त ।।
है यह माया वक़्त की, या भाग्य का प्रपंच ।
पल में बदले भूमिका, पल में बदले मंच ।।
अभिनेता सारे यहां, विश्व है रंगमंच ।
भिन्न-भिन्न है भूमिका, क्या दोषी, क्या पंच ।।
आज कहीं रोमांच है, और कहीं रोमांस ।
फिर भी जीवन में नहीं, सुख का कोई चांस ।।
अजब यहां की प्रीत है, ग़ज़ब यहां की रीत ।
सचमुच जीना है कठिन, कुटिल जगत में मीत ।।
कहीं पीर से प्रीत है, कहीं प्रीत से पीर ।
अजब-ग़ज़ब है देखिए, दुनिया की तासीर ।।

डॉ॰ रामनिवास 'मानव'
706, सेक्टर-13, हिसार-125005 (हरियाणा)

साहित्यकारों को सम्मान

मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी ने भोपाल के हिन्दी साहित्य सम्मेलन भवन में तुलसी सम्मान 2011 का पिछले दिनों अलंकरण किया । इसमें डॉ॰ दिनेश दिवाकर गौड़, रमन लाल अग्रवाल और अन्य साहित्यकारों को तुलसी साहित्यकार अलंकरण से सम्मानित किया गया ।

इस अवसर पर पत्रिका पुष्पक आनंद के शिक्षाप्रद दोहे और अन्य कृतियों का लोकार्पण भी हुआ । कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में हिन्दी मासिक 'पुष्पक' की संपादक डॉ॰ अहिल्या मिश्र थीं ।

डॉ॰ अहिल्या मिश्र सम्मानित

कादम्बरी संस्था संस्कार धानी, जबलपुर द्वारा गत दिनों आयोजित एक साहित्यकार एवं पत्रकार सम्मान समारोह में 'पुष्पक' की संपादक डॉ॰ अहिल्या मिश्र एवं भोपाल से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'कर्मनिष्ठा' के संपादक डॉ॰ मोहन तिवारी आनंद को विश्वंभर दयाल अग्रवाल पत्रकारिता सम्मान से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया ।

भ्रष्टाचार : एक ज्वलंत समस्या

● रमेश प्रसाद
(शोध छात्र, दरभंगा, बिहार)

समाजशास्त्र में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसका अपना एक मौलिक महत्व है । जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसके अध्ययन में विश्लेषण की इकाई को एक विशेष दृष्टि से देखा जाता है । किसी भी घटना के अस्तित्व एवं गतिविधि से संबंधित कुछ आयाम हो सकते हैं, समाजशास्त्र में विश्लेषण की इकाई या समाज एवं उनके व्यवहार के अलग-अलग रूप होते हैं । इनके विश्लेषण के लिए अध्ययन की इकाई में चारों ओर कई परिप्रेक्ष्य का विकास होता है ।

अध्ययनकर्ता, शोधकर्ता किसी विशेष परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए समाज, समाज संबंधी व्यवहारों, सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास करेगा।

हम समाजशास्त्रियों के कार्यों एवं विचारों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि कुछ ने अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धतियों का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया, तथ्यों को ठीक ढंग से पेश किया तथा सही ढंग से उन तथ्यों का विश्लेषण किया ।

समाजशास्त्र में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो विघटनकारी स्थिति उत्पन्न करती हैं तथा समाज के ढांचे को कमज़ोर करती हैं उनमें से प्रमुख हैं, बेकारी, निर्धनता, मद्यपान, तथा भ्रष्टाचार इत्यादि । वर्तमान समय में समाजशास्त्री इन ज्वलंत समस्याओं पर लगातार शोधरत हैं । आज इस तरह के अध्ययनों की काफ़ी आवश्यकता है। विशेषकर उन स्थितियों में जब ऐसे अध्ययन क्षेत्र से जुड़े हों, जहां इस तरह का अध्ययन नहीं किया गया हो ।

आज भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तथा लगभग सभी संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है । इन संस्थाओं में काम करने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारियों, क़ातिब सहायकों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अधिक सुक्षमता एवं गहराई से अध्ययन करके इन लोगों की मनोवृति एवं कारणों को जाना जा सकता है। इस सन्दर्भ में रिश्वत देने एवं लेने वाले लोगों का भी अध्ययन किया जाएगा।

वर्तमान युग की यह एक विषम समस्या है। विश्व के लगभग सभी देशों में भ्रष्टाचार की समस्या देखी जा रही है परन्तु भारतवर्ष में ऐसी समस्या अधिक व्याप्त है तथा अधिकांश पदाधिकारी एवं कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, अतः ऐसे अध्ययनों की और भी आवश्यकता बढ़ गयी है ।

सामाजिक विघटन की अनेक समस्याओं में जिन सर्वग्रासी समस्या का हमारे लोक जीवन से प्रत्यक्ष संबंध है, वह है भ्रष्टाचार की समस्या । जीवन के अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का क्षेत्र हो अथवा कृषि, व्यापार का क्षेत्र हो अथवा उद्योग-धंधे का क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निबंध कार्यालय अथवा सर्वे कार्यालय, कचहरी, अदालत का क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र जिस तरफ़ नज़र डालें, तो भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बोल-बाला है, इसलिए इसकी सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन प्रतीत होता है। भ्रष्टाचार अनैतिक, ग़ैर-क़ानूनी ऐसे सभी कार्य इस श्रेणी में आते हैं, जिनमें व्यक्तिगत, पारिवारिक स्वार्थ के लिए बेईमानी, छलकपट, विश्वासघात, जालसाज़ी, अनैतिकता करना, पक्षपात करना रिश्वत लेना, चोरी करना, कराना आदि भ्रष्टाचार के अर्न्तगत आते हैं । इसके बावजूद भारतीय दंड विधान की धारा-161 में भ्रष्टाचार के संबंध में लिखा गया है कि "कोई भी सार्वजनिक सेवक वैध पारिश्रमिक के अलावा अपने या अन्य किसी के लिए कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है, जिससे किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में कोई पक्षपातपूर्ण सरकारी निर्णय किया जाए, वह भ्रष्टाचारी है। केन्द्रीय या राज्य सरकारों के सेवक और सांसद तथा विधानसभाओं के विधायक सभी पर यह बात लागू होती है ।

सन 1947 के भ्रष्टाचार विरोध अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत किसी सरकारी कर्मचारी की कार्य में अवहेलना भ्रष्टाचार कहलाता है । सन 1951 के जनप्रतिनिधित्व

अधिनियम के अनुसार चुनाव में भी की जाने वाली अनियमितताएं भ्रष्टाचार मानी जाती है। धारा-123 अवलोकन किया जा सकता है । इस तरह अपने या अपने सगे-संबंधियों, परिवार वालों और मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई रूप में या अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार कहलाता है ।

इससे स्पष्ट है कि हर समय में कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जिनका काम व्यवहार के स्वीकृत मापदंडों का विरोध करना रहा है तथा ऐसे कामों को करना, जिससे समाज की व्यवस्था विघटित होती रही है, इसलिए हम लोगों के लिए यह एक चिन्ताजनक विषय है ।

आधुनिक युग में भ्रष्टाचार का अध्ययन समाजशास्त्र जैसे विज्ञान के माध्यम से किया जा रहा है और इन सभी प्रश्नों पर गंभीरता से एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार विचार किया जाता है, जो यह तय करता है कि भ्रष्टाचार क्यों होता है ? उन्हें कैसे जाना जा सकता है ? भ्रष्टाचार करने वाले लोगों, कर्मचारियों, पदाधिकारियों का सुधार तथा रोकथाम कैसे हो सकता है ? क्या इस तरह की समस्या को समाज से समाप्त कर स्वस्थ सामाजिक संरचना का निर्माण करना संभव है ? लोगों में जनजागरण एवं जनचेतना उत्पन्न कर सशक्त लोकपाल बिल सांसद में पारित कराने से भ्रष्टाचार की समस्या की दर को कम किया जा सकता है ।

प्रस्तावित शोध अध्ययन का मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार रूपी समाजशास्त्रीय अध्ययन के कारणों, परिणामों और निदान के उपायों पर प्रकाश डालना है, जिससे हमारा समाज इस गंभीर रोग से मुक्त हो सके। इसके लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों की सहयोग की आवश्यकता है ।

सन्दर्भ :

1. सामाजिक विघटन एवं व्यावहारिक समाजशास्त्र-डॉ० रामनाथ शर्मा, राजहंस प्रकाशन मन्दिर-1963
2. सामाजिक विघटन एवं भारत-श्री कृष्ण भट्ट-बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी कदमकुंआ, पटना जुलाई 1974
3. Social Disorganisation-Elliot and Merrill
4. सामाजिक अनुसंधान-डॉ० आर० के० मुखर्जी
5. Scientific Social Surveys and Research–P.V. Young

Khalid Nesar

بسم اللہ الرحمن الرحیم

9334141280
9334620090

خورشید بک ڈپو

دینی ودرسی کتابوں، رسالوں اوراخبارات کے ریٹیل اور ہول سیل کا واحد مرکز

KHURSHID BOOK DEPOT

KBD

Spl. in :

NCERT Urdu Books

Supply in all over Jharkhand

Road No. 2, Azad Nagar, Jamshedpur-832110

शिक्षाधिकार क़ानून भी सर्वशिक्षा अभियान की राह पर

■ मुशर्रफ़ अली

केन्द्र सरकार के अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू हुए गत एक अप्रैल को दो वर्ष पूरे हो गये, लेकिन किसी भी दृष्टि से इसका असर नज़र नहीं आ रहा है । केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को भी यही शिकायत है । उन्होंने कहा है कि अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क़ानून लागू होने के दो वर्ष पूरे होने के बावजूद प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है । इस मद में केन्द्र सरकार ने इस वर्ष 25 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च करने का प्रावधान किया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 13 हज़ार करोड़ रुपये ही थी । केन्द्रीय मंत्री ने राज्यों द्वारा अपनी भूमिका ज़िम्मेदारीपूर्वक न निभाने की शिकायत भी की ।

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क़ानून केवल सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलावा किसी दूसरे स्कूल, मदरसे, पाठ-शाला या गुरुकुल में दी गयी शिक्षा को शिक्षा नहीं मानता है । इस क़ानून के अनुसार शिक्षा केवल वही है, जिसे सरकार क़ानून बनाकर तय करे और जो सरकारी संस्थाओं में दी जाए । स्पष्ट है कि यह क़ानून अगर पूरी तरह लागू हो गया तो प्राइवेट स्कूलों का अस्तित्व ख़तरे में पड़ जाएगा । मान्यता प्राप्त करने के लिए जो मानक तय किये गये हैं वे भी इतने मुश्किल हैं कि उन्हें पूरा करना अच्छे-अच्छे स्कूलों के बस में नहीं है ।

आर०टी०ई० में स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं मुहैया करने का प्रावधान है, लेकिन पिछले दो वर्ष में इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है । आज भी बहुत सारे स्कूल टेंट में या पेड़ों के नीचे चल रहे हैं । जबकि आर०टी०ई० में प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग होगी, खेल का मैदान होगा, अलग-अलग महिला एवं पुरुष शौचालय होंगे और कुर्सियां, मेज़, बेंच और खेल का सामान आदि होगा ।

इस प्रकार देखा जाए तो यह क़ानून शिक्षा की राह में रुकावटें खड़ा करता ही नज़र आ रहा है । यह क़ानून शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के बजाय उसे सीमित कर रहा है । एक तो इसके प्रावधान इतने सख़्त हैं दूसरे यह कि लागू करने का जहां तक सवाल है तो सरकार का रवैया कभी निष्पक्ष नहीं रहा है । ऐसे में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं मदरसों, पाठशालाओं आदि को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ।

दो वर्ष पहले जब यह क़ानून लागू किया गया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि तीन वर्ष के भीतर देश के किसी भी कोने में रहने वाले 6-14 वर्ष के बच्चे को स्वीकार्य दूरी पर और स्वीकार्य गुणवत्ता के साथ स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब केवल एक वर्ष बचा है । बीते दो वर्षों में इस सिलसिले में कोई उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है । आज भी 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का एक बड़ा प्रतिशत स्कूल से बाहर है । जहां तक स्कूलों के स्वीकार्य दूरी पर होने का सवाल है तो आर०टी०ई० क़ानून में प्रावधान है कि पांचवीं कक्षा तक के स्कूल तक पहुंचने के लिए किसी भी बच्चे को एक किलोमीटर से अधिक न चलना पड़े और छठी से आठवीं तक के स्कूल की अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए । इसके विपरीत स्थिति यह है कि पूरे ज़िले में जितने स्कूल हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है । बड़े शहरों में भी स्कूलों की संख्या आर०टी०ई०

तुम्हारे पास
प्रभु का स्पष्ट मार्गदर्शन
आ गया है, अतः नाप और तौल
पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में
घाटा न दो और धरती में बिगाड़ पैदा
न करो, जबकि उसका सुधार हो
चुका है, इसी में तुम्हारी
भलाई है ।
अल्लाह ब्याज का मठ मार देता
है और ख़ैरात (दान)
को बढ़ाता है ।
–क़ुरआन

एक ख़ैरख़्वाह
जमशेदपुर

के प्रावधान के अनुसार नहीं है ।

यही हाल शिक्षकों की संख्या का है, जो स्कूल मौजूद हैं वहां भी शिक्षकों की भारी कमी है । एक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 40 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जो प्राथमिक स्तर के मानक को पूरा नहीं करते हैं, जिसके अनुसार प्रति 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए । इससे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रही है । शिक्षकों की कमी भी बच्चों के स्कूल से बाहर रहने का एक कारण है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल तो बहुत दूर-दूर हैं ही साथ ही वहां शिक्षकों की कमी के कारण भी अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है । राज्य सरकारों का रवैया इस बारे में बहुत ख़राब है । केवल 14 राज्यों ने ही ऐसी कमेटी गठित की है जो आर०टी०ई० क़ानून के उल्लंघन पर कड़ी नज़र रखती है ।

हाल में आर०टी०ई० फोरम द्वारा नयी दिल्ली में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 95.2 प्रतिशत स्कूल आर०टी०ई० के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं । 99.68 प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में किसी न किसी प्रकार की सज़ा दी जाती है । बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 2012 ई० में कराये गये एक अध्ययन के अनुसार 7 राज्यों के 6,632 छात्रों में से केवल 9 छात्रों ने यह बात स्वीकार की कि उन्हें किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी गयी है । वह रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रवेश लेने के लिए आये बच्चों में से 81.2 प्रतिशत बच्चों को यह कहकर लौटा दिया गया कि उनके अन्दर कुछ सीखने समझने का सामर्थ्य नहीं है । जबकि आर०टी०ई० क़ानून कहता है कि उन सभी बच्चों को जो बाल मज़दूरी करते हैं या वे सेक्स वर्कर हैं, स्कूलों से जोड़कर उन्हें मुफ़्त शिक्षा दी जाएगी । चाइल्ड राइट्स एंड यू (सी०आर०वाई०) की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों में आर०टी०ई० के कई प्रावधानों का देश भर में जमकर उल्लंघन हुआ है । विडम्बना यह है कि अधिकतर राज्यों में इस क़ानून को लागू करने और उस पर नज़र रखने वाले किसी तंत्र का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए यह कहना कठिन है कि इस क़ानून का किस सीमा तक उल्लंघन किया जा रहा है । इसकी धारा 31 स्पष्ट कहती है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों द्वारा आर०टी०ई० के तहत दिये गये अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा और उस पर नज़र रखी जाएगी । उक्त धारा में यह भी कहा गया है कि आयोग आर०टी०ई० के विरुद्ध शिकायतें भी सुनेगा और उनका निबटारा भी करेगा ।

लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग का हाल बहुत बुरा है । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक आयोग के पास 1089 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिनमें से 592 शिकायतों पर ही कार्रवाई हुई । अगले वर्ष एक अप्रैल 2011 से 16 मार्च 2012 तक 1761 शिकायतें आयीं, जिनमें से केवल 100 शिकायतों पर कार्रवाई हुई । ये आंकड़े न केवल परेशान करने वाले हैं बल्कि इससे आयोग की घटती योग्यता का भी पता चलता है । एक ओर तो शिकायतों की संख्या बढ़ रही है दूसरी ओर उस पर कार्रवाई कम होती जा रही है ।

आर०टी०ई० में स्कूलों में हर तरह की सुविधाएं मुहैया करने का प्रावधान है, लेकिन पिछले दो वर्ष में इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है । आज भी बहुत सारे स्कूल टेंट में या पेड़ों के नीचे चल रहे हैं । जबकि आर०टी०ई० में प्रावधान है कि प्रत्येक स्कूल के पास अपनी बिल्डिंग होगी, खेल का मैदान होगा, अलग-अलग महिला एवं पुरुष शौचालय होंगे और कुर्सियां, मेज़, बेंच और खेल का सामान आदि होगा ।

जहां तक शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल है तो ग्रामीण क्षेत्रों का हाल यह है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 100 में से 15 ही बच्चे ऐसे हैं जो अक्षर पहचान सकते हैं । 27 फ़ीसद बच्चे ढंग से गिनती नहीं जानते हैं, 60 फ़ीसद बच्चों को अंक का ज्ञान तो अवश्य है मगर वे जोड़ या घटाव नहीं कर सकते । चूंकि इस क़ानून में फेल होने का प्रावधान नहीं है, इसलिए शिक्षकों को पढ़ाने में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है । दूसरी ओर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है इसलिए उन्हें पढ़ाई की अहमियत का एहसास नहीं है और न ही उनकी पढ़ने में कोई दिलचस्पी ही बन पाती है । यही कारण है कि पांचवीं कक्षा के बच्चे भी दूसरी कक्षा की किताबें ढंग से नहीं पढ़ पाते ।

केन्द्र सरकार समझती है कि जनता की गाढ़ी कमाई के 13 हज़ार करोड़ रुपये और 25 हज़ार करोड़ ख़र्च करके उसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली । हालांकि ऐसा क़तई नहीं है । एन०डी०ए० सरकार में सर्वशिक्षा अभियान का हाल हम देख चुके हैं । आवश्यकता है इच्छा शक्ति की । आर०टी०ई० और इस जैसे क़ानून बना देना तो आसान है, लेकिन क़ानून को लागू करना और सही ढंग से लागू करना इतना आसान नहीं और वह भी एक ऐसे देश में जहां भ्रष्टाचार हर स्तर पर जड़ पकड़ चुका है ।

Md. Rashid
9835125717

N. S. ENCLAVE

Masud Ahmad
9431107797

आप मकान,
दुकान, कोठी,
रिहाइशी मकान एवं
सस्ते और सुन्दर
प्लाट एवं फ्लैट
के लिए
संपर्क करें।



साथ में
बी॰ एड॰ कॉलेज
एवं
इंजीनियरिंग कॉलेज
की भी सुविधा
उपलब्ध है।

साथ में मस्जिद एवं क़ब्रिस्तान भी है।

नग़मा ड्रेसेज

हमारे यहां फैंसी साड़ियां, रेडिमेड ड्रेस, टी शर्ट,
बाबा सूट, फ्रॉक, मिडी, नाइटी, स्कूल ड्रेस,
जींस पैंट एवं फैंसी रेडिमेड होजरी वस्त्रों के लिए पधारें।

OFFICE CONTACT : NAGMA DRESSES
Booti Chowk, Dubey Market, Ranchi (Jharkhand)

CONTACT No. 2 Masud Ahmad, Hamid Book Depot,
Opp. Urdu Library,
Main Road, Ranchi-834001 (Jharkhand)

Mobile : 09431107797

भारत सहित विश्व के अन्य देशों में सूचना का अधिकार

● अफ़रोज़ आलम 'साहिल'

भारत में 'सूचना का अधिकार अधिनियम-2005' जारी होने से पूर्व विश्व के लगभग 54 देशों में सूचना का यह अधिकार किसी न किसी रूप में मौजूद था । एक रिपोर्ट (Velugels Roger (2006) Overview of FOIA Countries World Wide-Ist Febuary, 06) के मुताबिक़ 1 फ़रवरी 2006 तक कुल 68 देशों ने सूचना के अधिकार संबंधी क़ानून बना लिया है । पाकिस्तान में भी लोग क़ानून न बन पाने के बावजूद किसी न किसी रूप में सूचना प्राप्त कर रहे हैं ।

नेपाल में भी सूचना के अधिकार क़ानून की रूप-रेखा तैयार कर ली गयी है । ज़र्मन संघ गणराज्य में 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट' तो नहीं बना है, लेकिन वहां का विधिक तंत्र अपने प्रत्येक नागरिक को सूचनाएं प्रदान करने की वकालत करता है । जहां न्यूजीलैंड, कनाडा, कोलम्बिया, दक्षिण अफ़्रीक़ा ने अध्यादेश के ज़रिये सूचना का अधिकार विषयक क़ानून बनाये, वहीं मलेशिया ने कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा अपने यहां सूचना प्रणाली विकसित की है । पोलैंड के संविधान में भी अनुच्छेद 61 में सूचना प्रदान करने का वादा किया गया है ।

सबसे पुराना अनुभव तो स्वीडन का है । यहां सरकारी कार्य में पारदर्शिता की परम्परा लगभग 240 वर्ष पुरानी है। स्वीडन की सरकार में खुलेपन के बारे में 'डानल्ड रावट' ने वहां की स्थिति स्वयं देखकर लिखा है–

''मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि हर विभाग के एक विशेष प्रेस कक्ष में विभाग में आने वाले और विभाग से जाने वाले दस्तावेज़ और डाक निरीक्षक के लिए प्रत्येक सुबह एक घंटे तक निरीक्षण के लिए रखे रहते थे । यदि किसी रिपोर्टर को किसी मामले पर अधिक जानकारी चाहिए होती तो वह हॉल में आगे जाकर विभाग की अन्य फाइलें भी प्राप्त कर सकता था । अलग से कोई विशेष स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी ।'' केवल विकसित देशों में ही नहीं, विकासशील देशों में भी सूचना के अधिकार की ओर क़दम बढ़ रहे हैं ।

विकासशील देशों में हाल ही में सूचना का अधिकार क़ानून बनाने में दक्षिण अफ़्रीक़ा का प्रयास बहुत चर्चित रहा है ।

''पारदर्शिता अभियान'' से जुड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ''ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल'' ने विश्व के विभिन्न देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है । इस अध्ययन में प्राय: यह देखा गया है कि जहां किसी न किसी रूप में ''सूचना का अधिकार'' क़ानून मौजूद है, वहां भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम है । वैसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'सूचना के अधिकार' को मूल मानव अधिकार का दर्जा दिया गया है । मौलिक मानव अधिकार घोषणा पत्र जैसे Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), vkSj International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) के अनुसार जानने का हक़ संबंधी महत्वपूर्ण मानव अधिकार दस्तावेज़ हैं, जो सूचना के प्रदान को एक मौलिक अधिकार बताते हैं ।

बहरहाल, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में सूचना का अधिकार विषयक क़ानून इस प्रकार है :

● **स्वीडन** : सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला सर्वाधिक पुराना एवं सूचना पर प्रथम क़ानून बनाने का श्रेय 'स्वीडन' को जाता है । 1766 में ही स्वीडन की सरकार की ओर से 'प्रेस की स्वतंत्रता' का अधिनियम पारित किया गया, इसमें लोक दस्तावेज़ों तक पहुंच का अधिकार दिया गया था । 1865 में पहला ऐसा क़ानून बना जिसमें सूचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात कही गयी, इसमें दो पक्षों के बीच विवाद पर कोर्ट के फ़ैसले में हारने वाले पक्ष को यह स्वतंत्रता दी गयी कि वह केस से संबंधित फाइल को देख सके ।

1949 में इसे एक नये अधिनियम द्वारा बदला गया और वहां के संविधान में भी इसे मान्यता दी गयी । फिर 1976 में भी संशोधन किया गया इसके पीछे सिद्धांत यह था कि हर स्वीडिश नागरिक को सरकार और वहां की नगर निगम के हर दस्तावेज़ को देखने की स्वतंत्रता मिल सके ।

यहां सूचना अधिकार संबंधी क़ानून लागू होने के पीछे एक काफ़ी दिलचस्प कहानी है । दरअस्ल, यहां दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थीं । एक का नाम था–'हैट्स' तो दूसरा ''कैप्स''। यह अलग बात है कि यदि दोनों के नाम का अर्थ देखें तो 'टोपी' होगा । बहरहाल, विपक्षी पार्टी ''कैप्स''

उदारवादी थी । वह देश में पारदर्शिता की मांग करती थी । दूसरी तरफ़, लंबे समय से सत्ता पर क़ाबिज़ ''हैट्स'' ने गोपनीयता की वकालत की । 1765 में यहां चुनाव हुआ । चुनाव में पारदर्शिता बनाम गोपनीयता का मुद्दा हावी रहा । अंततः जीत 'पारदर्शिता' की हुई, लेकिन उन्होंने अपने देश के नेताओं की तरह जनता को 'टोपी' नहीं पहनाया, बल्कि अगले ही वर्ष (1766) में अपने वायदे के मुताबिक़ पारदर्शिता का क़ानून लागू कर दिया ।

● **फिनलैंड** : फिनलैंड में नागरिकों को ''सूचना का अधिकार'' अथवा ''सरकारी दस्तावेज़ों को प्राप्त करने का अधिकार'' सन 1951 में मिला । ''लॉ ऑन द पब्लिक करेक्टर ऑफ़ ऑफिशियल डाक्यूमेंट्स' नामक क़ानून के अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया।

● **डेनमार्क** : डेनमार्क ने 1964 में ही वहां के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु क़ानून बना दिया था, लेकिन यह क़ानून एक सामान्य क़ानून के बतौर 1970 में संविधान का अंग बना ।

● **नार्वे** : नार्वे में 1970 में वहां के नागरिकों को सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त करने वाला क़ानून यानी सूचना का अधिकार मिला ।

● **संयुक्त राज्य अमेरिका** : अमेरिका में प्रशासनिक स्तर पर 1946 में ही ऐसे कई प्रावधान कर दिये गये थे, जिनके आधार पर सरकारी दस्तावेज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती थी । 1966 में 'फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एक्ट' अस्तित्व में आया । 1967 में इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की 1974 में अमेरिका की कांग्रेस ने 1966 के इस क़ानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये । सूचना के अधिकार से संबंधित ''प्राइवेसी एक्ट'' भी इसी वर्ष पारित किया गया । लेकिन अभी भी इसमें कई बार संशोधन किया गया, इसी क्रम में 1996 में इसे इलेक्ट्रॉनिक सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम का नाम दिया गया । यह हर व्यक्ति चाहे वह अमेरिकी नागरिक हो या अन्य किसी देश का नागरिक हो, वह भी सरकारी एजेंसी से रिकार्ड प्राप्त कर सकता है । यहां सरकारी एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वह 20 कार्य दिवस के भीतर जवाब दे ।

यही नहीं, अमेरिका की ''फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एक्ट'' के साथ आ रही मुश्किलों को दूर करने के लिए सेनेट सदस्य और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों ने मिलकर एक विधेयक (मुक्त सरकार क़ानून 2007) को मंज़ूरी दी है । जिसे 'सेनेटर पैट्रीक लिही' और 'सेनेटर जॉन कोर्नीन' ने तैयार किया है । इस नये क़ानून में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गयी है, जिससे सूचना पाने के लिए दिये गये आवेदन का निपटारा यथाशीघ्र नहीं होने पर फेडरल एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा । 20 दिनों के अन्दर

Jamaat-e-Islami Social Service Society (Regd), Gaya

The Society is in service in the field of education, health and Islamic understanding for the last 34 years. Our resources are limited, our task is tremendous. We seek your co-operation in the following activities:-

1. **IQRA PUBLIC SCHOOL :** Besides 800 paying students, about 150 poor or orphan girls & boys are provided free education upto Matriculation with Islamic Carriculam.
2. **MILLAT HOSPITAL :** Every year about 15000 poor & needy patients are provided with free medical treatment & medicine besides other services.
3. **INTEREST-FREE SOCIETY :** Provides short-term loan without interest to needy people.
4. **ISLAMIC INFORMATION CENTRE :** Established at Bodh-Gaya, where lakhs of foreigners visit every year during Nov - March. The Centre provides reading materials on Islam, distributes Islamic literature and invites interested visitors for discussion besides inter-faith dialogue on regular basis.

Kindly send your cheque/draft in favour of the society

(Q. Hoda)
Chairman

(Prof. M. B. Zaman)
Secretary

JISSS, Millat Campus, Leitch Road, Gaya-823001

सूचना न दिये जाने पर एजेंसी उस ख़ास आवेदन की प्रक्रिया शुल्क नहीं ले पाएगी । इतना ही नहीं, नये क़ानून के अनुसार यदि सूचना पाने के लिए आवेदक को अदालत की शरण में जाना पड़ा तो वकील का ख़र्च भी एजेंसी को ही वहन करना पड़ेगा, चाहे उस आवेदक को सूचना अदालती आदेश आने से पहले ही क्यों न दे दी गयी हो ।

● **आस्ट्रिया :** आस्ट्रिया में 'फेडरल मिनिस्ट्रीज एक्ट' नामक क़ानून पहले से ही प्रचलित था । 1973 में आस्ट्रिया की संसद ने इस क़ानून में दो उपबंधों को सम्मिलित किया । ये दोनों उपबंध जनता को प्रशासनिक सूचनाएं प्रदान करने की वकालत करते हैं ।

● **फ्रांस :** फ्रांस का संविधान विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का न केवल पक्षधर है, बल्कि वह इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखता है । 1973 में सूचना की स्वतंत्रता देने वाले क़ानून बनाने की आवाज़ उठने लगी थी । इसी समय प्रशासनिक दस्तावेज़ों के समन्वय हेतु बने एक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की । इसमें नागरिकों को सूचना का अधिकार देने संबंधी क़ानून बनाने का प्रस्ताव था ।

इसी प्रस्ताव के आधार पर ही फ्रांस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक कार्यदल का गठन किया । इसने 1976 में एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत किया । 17 जुलाई, 1978 को फ्रांस की संसद ने उक्त मसौदे को क़ानून (संख्या 78-753) की संज्ञा देकर पारित किया । इस प्रकार फ्रांस में 1978 में सूचना का अधिकार क़ानून प्रभावी हुआ ।

● **नीदरलैंड :** नीदरलैंड ने भी नवम्बर 1978 में अपने नागरिकों को सूचना संबंधी अधिकार देने के लिए ''ओपननेंस ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट'' नामक क़ानून बनाया ।

● **न्यूज़ीलैंड :** न्यूज़ीलैंड ने सूचना का अधिकार देने वाला क़ानून तो नहीं बनाया है, लेकिन 1982 में अपने सरकारी गोपनीयता क़ानून ''ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट'' के प्रावधानों को उदार बनाकर उसने जनता को सूचना का अधिकार दिया । इस क़ानून के आधार पर न्यूज़ीलैंड का कोई भी नागरिक सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ''ओम्बड्समैन'' का सहयोग ले सकता है ।

● **कनाडा :** 1977 में कनाडा के नोवा स्किाटिआ प्रांत में पहली बार नागरिकों को सूचना देने के लिए ''फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉरमेशन एक्ट'' का प्रस्ताव रखा गया, जून, 1978 में इस क़ानून को पारित कर दिया गया, लेकिन यह क़ानून 1979 के बाद ही प्रभावी हुआ । 1980 में कनाडा का 'एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन' नामक क़ानून अस्तित्व में आया । 1981 से 1983 तक इस क़ानून में कई अहम संशोधन हुए । आख़िरकार यहां के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वह विधी न्यायालयों, पार्लियामेंट एवं वाणिज्यिक निगमों को छोड़कर सभी सरकारी संस्थानों द्वारा रखे गये रिकॉर्ड की कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं । सरकारी विभागों को सिर्फ़ पन्द्रह दिनों के अन्दर जवाब देना होगा ।

● **आस्ट्रेलिया :** आस्ट्रेलिया में सूचना के अधिकार की मांग ने 1972 में ज़ोर पकड़ा, जब नयी ''लेबर सरकार'' ने इसकी पहल की । 1972 में सरकार ने इसी के मद्देनज़र एक समिति का गठन किया । 1974 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । 1976 में एक और समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य 1972 में बनायी गयी समिति के सुझावों की समीक्षा करना था । इस समिति के प्रस्तावों के आधार पर जून 1978 में आस्ट्रेलिया की ''कॉमनवेल्थ सरकार'' ने ''फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एक्ट'' तैयार किया । लेकिन कुछ संशोधन के साथ 1982 में उसे पारित किया गया । इस एक्ट में साफ़ तौर पर कहा गया है–''इस अधिनियम द्वारा ऐसी जानकारी पाने का अधिकार दिया जाता है, जो मंत्रियों, विभागों और लोक-पदाधिकारियों के क़ब्ज़े में दस्तावेज़ों के रूप में है । इसमें अपवाद के बतौर सिर्फ़ अत्यावश्यक लोकहित और निजी मामले आएंगे ।''

● **ब्रिटेन :** ब्रिटेन में 1989 में ''ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट'' (1911) के अनुच्छेद 2 को परिवर्तित कर नागरिकों को कतिपय क्षेत्रों के अतिरिक्त सरकारी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया । ब्रिटेन में आज भी अन्य देशों की तरह ''फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एक्ट'' जैसा कोई क़ानून नहीं बना है, लेकिन 1911 के ''ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट'' में परिवर्तन होने पर अब वहां के नागरिक अन्य देशों

For Information On
City Shops, Roads–Products,
Restaurants, Landmarks
And much more.
Visit us:
www.shoppinglanes.com

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

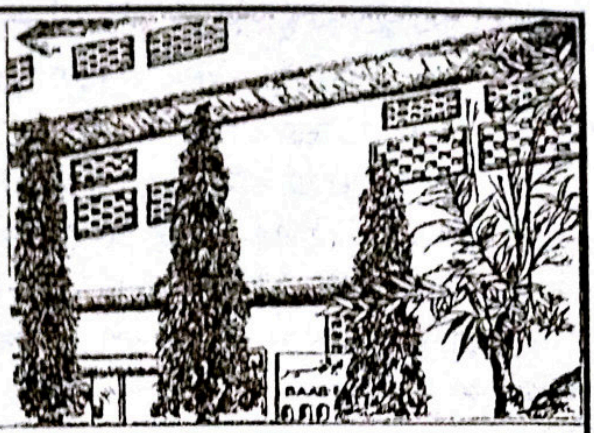

संक्षिप्त परिचय

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी इदारा

• 25 वर्षीय सेवाएं • 19 विभाग • शिक्षा : प्राथमिक से मैट्रिक तक • पत्राचार शिक्षा • 6 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया • प्रौढ़ शिक्षा • वोकेशनल सेन्टर • कटिंग और सिलाई : 6 बैच 70 छात्राएं • ज़री वर्क्स : 3 बैच 40 छात्राएं • 1993 ई॰ से 2011 ई॰ तक 66 अनाथ बच्चियों और 41 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया • वार्षिक ख़र्च : 20 लाख रुपये से अधिक • आमदनी का स्रोत : मुस्लिम अवाम के चन्दे • इदारा 120 अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है • किफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 12,000/- रुपये है--आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठा कर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : • ज़कात • सदक़े • अतिया • पैदावार की ज़कात • दीनी किताबें • ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदायगी • स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 90,000/- रुपये • मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाना और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना • यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किये जाते हैं और ऑडिट होता है । • इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिलकर रहा करती हैं ।

यह इदारा आप से उदार सहायता की अपील करता है ।

विदेशी चन्दा देने वाले : भारत सरकार से "मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया) को विदेशों से चन्दा लेने का इजाज़तनामा प्राप्त हो गया है ।

Foreign Donors विदेशी चन्दा देने वाले

विदेशों में रहने वाले अब BANK A/c No. 300402010009042

BANK CODE NO. UBININBBJAM में अपनी रक़म भेज सकते हैं ।

चेक या ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें-"THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE"

Address for correspondence : रक़म भेजने और संपर्क करने का पता

GENERAL SECRETARY, THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE

At : KOLOWNA, P.O.: CHERKI-824237, Distt.: GAYA (BIHAR) INDIA, ☎ 0631-2734437 • Mobile : 9934480190

E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.org

LOCAL DONARS मक़ामी चन्दा देने वाले

BANK CODE-UBI No. 530042 UNION BANK OF INDIA (MAIN BRANCH, GAYA)

CORE BANKING A/C NO.: 300402010007752

नोट : कोर बैंकिंग वाले हज़रात E-mail या डाक से अपना मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि उसी पते पर रक़म की रसीद रवाना की जा सके ।

संस्थापक महासचिव : इक़बाल अहमद ख़ां

की तरह कुछ क्षेत्रों की सूचनाओं को छोड़कर अधिकांश सरकारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं । यूनाइटेड किंगडम में 'फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एक्ट' नवम्बर 2000 में बना, जब वहां के सभ्य समाज के संगठनों ने बराबर सरकार पर इसके लिए दबाव डाला । परंतु नया संशोधित अधिनियम एक जनवरी 2005 से ही लागू हुआ जब सबको सूचना प्राप्त करने का हक़ मिला । प्राइवेसी इंटरनेशनल, आर्टिकल 19 तथा कैम्पेन फॉर फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन जैसे संगठनों का इसमें बहुत अहम रोल रहा ।

● **जापान :** जापान में 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1999 में वहां की संसद, जिसे ''डाईट'' कहा जाता है, ने सूचना प्राप्ति के संदर्भ में क़ानून पारित किया, जिसे 2001 में लागू किया गया । इस क़ानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो चाहे जापानी हो या विदेशी, प्रशासनिक एजेंसियों के दस्तावेज़ (जो प्रकाशित हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हों) के लिए आवेदन कर सकता है ।

● **अफ़्रीक़ा :** अफ़्रीक़ा में ह्यूमेन एंड पीपुल्स राइट चार्टर 1981 जिसे 'बंजुल चार्टर' भी कहा जाता है, उसे अक्तूबर 1986 से लागू किया गया । इस चार्टर के अनुच्छेद 9 में कहा गया कि हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और सरकार इसे लागू करने के लिए क़ानून बनाए ।

दक्षिण अफ़्रीक़ा के संविधान 1996 के अनुच्छेद 32 में कहा गया कि हर किसी को वह सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जो राज्य के पास हो या फिर वह सूचना किसी और व्यक्ति के पास हो पर वह किसी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो । यहां 'प्रमोशन ऑफ़ ऐक्सेस टू इन्फॉरमेशन एक्ट' 2001 में लागू किया गया ।

● **पाकिस्तान :** पाकिस्तान में 'फ्रीडम ऑफ़ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस' 2002 में पारित हुआ । इस क़ानून द्वारा नागरिकों को यह अनुमति दी गयी कि वह लोक निकाय जैसे मंत्रालय, बोर्ड काउंसिल, कोर्ट व ट्रिब्यूनल के तहत आने वाले दस्तावेज़ों के विषय में सूचना प्राप्त कर सके ।

● **नेपाल :** नेपाल में राजशाही के जाने और लोकशाही के आने के बाद का अंतर साफ़ दिखने लगा है । अब यहां के लोग भी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे । मीडिया, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी की एक संसदीय समिति ने सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया है ।

इस विधेयक में सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए किसी व्यक्ति अथवा एजेंसी द्वारा सूचना मांगे जाने के 15 दिनों के भीतर 'सूचना' उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सूचना उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर एक हज़ार से 25 हज़ार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है । विधेयक का एक ख़ास पहलू यह भी है कि ये सारे प्रावधान ग़ैर सरकारी संगठन (एन॰जी॰ओ॰) पर भी लागू होंगे । वर्षों तक राजशाही का दंश झेल चुके नेपाल के लोगों के लिए सूचना का यह नया क़ानून निश्चित तौर पर एक ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा ।

इस प्रकार इन देशों के अलावा अलबानिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेल्जियम, बोस्निया, बुल्गारिया, कोलंबिया, जर्मनी, हंगरी, आईसलैंड, आयरलैंड, इसराईल, इटली, जमैका, साउथ कोरिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पनामा, पेरू, फिलीपींस, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बेरिया, स्लोवाकिया, स्पेन, स्वीट्ज़रलैंड, तजाकिस्तान, थाइलैंड, तुर्की, युगांडा, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान और जिम्बांबे आदि देशों में भी सूचना के अधिकार से संबंधित क़ानून लागू हैं ।

''वादा भी
एक क़र्ज़ है,
जिसे अदा करना
चाहिए ।'' (हदीस)

A Well Wisher
JAMSHEDPUR

वाहनों से बढ़ रहा ख़तरनाक प्रदूषण

❖ विद्या प्रकाश

विभिन्न कारणों से जिस प्रकार तेज़ी से मानव जीवन के चतुर्दिक वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे नाना प्रकार की ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं और यह स्थिति मानव के लिए अशुभ तथा विनाशकारी है । यदि हम समय पर न चेते और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में कारगर प्रयास न किया गया तो इसका परिणाम भविष्य में हमें और भी घातक रूप में भुगतना पड़ेगा ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ समय पूर्व 91 देशों के 1100 नगरों में वायु की गुणवत्ता और स्वच्छता से संबंधित आंकड़ों को एकत्र कर उनका अध्ययन किया । संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जानकारी दी गयी है कि हमारे देश में वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण श्वसन संबंधी बीमारियां तेज़ी से पनप रही हैं । संगठन का अनुमान है कि वर्ष 2008 में श्वसन संबंधी बीमारियों तथा कैंसर से लगभग 13 लाख 40 हज़ार व्यक्तियों की अकाल मृत्यु का कारण प्रदूषित हवा है । वैश्विक संगठन का यह सर्वेक्षण न केवल हमारी आंख की पट्टी खोलने वाला है, बल्कि हमारी विलासितापूर्ण जीवनशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है । औद्योगीकरण तथा शहरीकरण के चलते वृक्षों की बेतहाशा और अंधाधुंध कटाई के कारण स्थिति और विकट, गंभीर तथा चिंताजनक होती जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि देश में 75 प्रतिशत से भी अधिक वायु प्रदूषण दोपहिया तथा चार पहिया वाहनों के कारण होता है । वाहनों के एग्जास्ट पाइप से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनो आक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, हाइड्रो कार्बन तथा सस्पेंडेड परटिकुलेट मैटर जैसे ख़तरनाक तत्व और जहरीली गैसें होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुपयुक्त और हानिकारक होती हैं । चिकित्सा वैज्ञानिकों और शरीर रचनाशास्त्रियों के अनुसार जब श्वसन प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन मानोऑक्साइड मानव तन के अन्दर पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन नामक तत्व उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में आक्सीजन का संचालन तथा परिवहन सुचारू रूप से नहीं हो पाता ।

मानव शरीर के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाईऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से काम हानिकारक और ख़तरनाक नहीं है । नाइट्रोजन मानोऑक्साइड मानव शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ मिश्रित अवस्था में ऑक्सीजन की मात्रा को न्यून करता है तथा आक्सीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जबकि नाइट्रोजन डाईऑक्साइड फेफड़ों के लिए बहुत ही नुक़सानदेह माना जाता है । इसकी मात्रात्मक अधिकता से दमा तथा ब्रोंकाइटिस (फ़ेफड़े की सूजन तथा श्वसन नली शोध) जैसे रोगों की संभावना बढ़ जाया करती है । वायुमंडल में हाइड्रोकार्बन का आधिक्य कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ज़िम्मेदार है । सस्पेंडेड परटिकुलेट मैटर नन्हें-नन्हें कणों के रूप में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है । ऐसे विजातीय तत्व हमारे शरीर के फेफ़ड़ों को नुक़सान पहुंचाकर श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं ।

सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या वृद्धि के लिए सरकारी नीतियां भी कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं । सरकार ने कभी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में संजीदगी से प्रयास नहीं किया । हालांकि पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन अवश्य किया गया है मगर उसकी कार्यशैली अन्य सरकारी कार्यालयों से अलग नहीं ।

स्थानीय पुलिस तथा वन विभाग के अधिकारियों और लकड़ी माफ़ियाओं की तिकड़ी की मिलीभगत से बग़ीचों के आम और नीम जैसे हरे वृक्षों की लकड़ियां काटकर लकड़ी के कारख़ानों और चिराई घरों में पहुंचायी जाने लगी । गांवों में बग़ीचों का कल्चर समाप्त हो गया । वन विभाग तथा स्वयंसेवी सामाजिक संस्थानों की तरफ़ से पौधरोपण का कार्य काग़ज़ों तक सिमटकर रह गया और जो हरे पौधे लगे भी, उन्हें समुचित देखभाल के अभाव में बकरियां और गाएं चर ले गयी । फलस्वरूप पर्यावरणीय संतुलन कैसे न बिगड़े और वायुमंडलीय प्रदूषण क्यों न बढ़े? प्रदूषण पर नियंत्रण तथा पर्यावरणीय संतुलन हेतु हमें सर्वांगीण प्रयास करना होगा और इस उद्देश्य से सरकारी प्रयास के साथ ही स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों को भी साफ़-सुथरे और समर्पित मन से आगे आना होगा ।

सोहन चिड़िया

पीले रंग के सिर और गर्दन पर काली टोपी जैसी बनावट, लंबी रंग और शारीरिक संरचना शुतुरमुर्ग़ से मिलती-जुलती यह है सोहन चिड़िया जो देखने में काफ़ी ख़ूबसूरत और आकर्षक होती है । कुछ वर्ष पूर्व तक यह भारत और पाकिस्तान में बहुतायत से पायी जाती थी जो औद्योगीकरण और जंगल कटाव जैसे कारणों से आज विलुप्त होने के कगार पर है । अब इसकी संख्या घटकर लगभग 250 रह गयी है ।

सोहन चिड़िया भारत में राजस्थान, बर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पायी जाती है । इसके भूरे रंग वाले शरीर पर काले धब्बे पाये जाते हैं । अन्य पक्षियों की तुलना में इसका वज़न अधिक तथा 8 से 14 किलोग्राम के मध्य होता है । इसलिए इसकी गणना भारी शरीर वाली फ्लाइंग बड्र्स में की जाती है । यह सर्वाहारी यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है । यह घास के बीज, फल, मूंगफली, ज्वार, बाजरा और दाल के अलावा चूहा, गिलहरी, कीड़ा-मकोड़ा और छिपकली बड़े चाव से खाती है । अधिक पानी उपलब्ध न होने पर यह जल सोख लेती है और अपना सिर एक निश्चित ऊंचाई तक उठाती है ।

नर सोहन चिड़िया एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती है । इसलिए उत्तर भारत में इसे हुकना के नाम से भी जाना जाता है । सुप्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉ॰ सालिम अली ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने का प्रस्ताव किया था । मांस और एक विशेष प्रकार के खेल के लिए इसका शिकार किया जाता है । इसकी आबादी घटने का एक मुख्य कारण यह भी है ।

बर्फ़ में बेफ़िक्र बकरी

उत्तरी अमेरिका में पायी जाने वाली पर्वतीय बकरी समुद्र तल से 10,000 फ़ीट की ऊंचाई पर कड़कड़ाती और हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में भी बड़े मज़े से रह लेती है । गर्मी के मौसम में खा-खाकर शरीर में इतनी अधिक मात्रा में चर्बी संचित कर लेती है कि यह जाड़े में केवल बर्फ़ में जमी बेरियों को ही खाकर बड़े आराम से अपना गुज़ारा कर सकती है । बर्फ़ के समान सफ़ेद रंग के ख़ूब मोटे फर तथा शरीर में संचित ढेर सारी चर्बी की बदौलत यह सर्दी से बिल्कुल नहीं डरती । डर तो इसे शिकारियों और सियारों से भी नहीं लगता क्योंकि अलास्का के हिमाच्छादित दुर्गम पहाड़ों पर शिकार करने का साहस शायद ही किसी आखेटक में हो । यदि कोई शिकारी इन दुर्गम पहाड़ों तक पहुंच और चढ़ सकने में सफल हो भी गया तो उसका इन बकरियों से पार पाना मुश्किल है । यह बकरी उच्चावच पर्वतों पर दौड़ने और श्वेतवर्ण की होने के कारण छिपने में चैंपियन है । एक बात और । इस पर्वतीय बकरी के परिवार में मां की हुकूमत चलती है । छोटे-छोटे बच्चे झुंड बनाकर मां के साथ रहते और बड़े होते हैं । वयस्क नरों को भी उसकी बात माननी पड़ती है ।

● विद्या प्रकाश

शोर के बीच बातचीत को आसान बनाएगी मशीन

नार्वे के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट मशीन (स्मार्ट ईयर पीस) बनाने में सफलता पायी है, जो शोर-शराबे और हो-हल्ला से छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत मदद कर सकती है । दरअस्ल इस स्मार्ट ईयर पीस की मदद से उन अवांछनीय आवाज़ों को दूर किया जा सकता है, जिन्हें आप सुनना पसन्द नहीं करते ।

नार्वे की 'सिंटेफ' रिसर्च लैब' के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया 'पर्सनल एक्टिव रेडियो/ऑडियो टर्मिनल (पी॰ए॰आर॰ए॰टी॰)' नामक एक स्मार्ट ईयर पीस ख़ासतौर से सेना के लिए विकसित किया गया है ताकि टैंकों की गड़गड़ाहट, गगनभेदी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों की कानफोड़ू आवाज़ के बीच भी सैनिक आपस में बहुत आराम से एक-दूसरे से बातचीत कर सकें । इस यंत्र को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें एक छोटा-सा कंप्यूटर लगा है, जो एक विशेष प्रोग्राम की बदौलत प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ की ध्वनि तरंगों को पहचान लेने में सक्षम होगा । अगर इस यंत्र का प्रयोग सफल होता है तो निश्चित रूप से इसकी सहायता से अधिक शोरगुल वाली जगहों पर बात करना भी बेहद आसान हो जाएगा ।

बादलों को ग़ायब करने का तरीक़ा खोजा

आसमान में बादल छाना, तेज़ आंधी, तूफ़ान इत्यादि ये सब प्रकृति के नज़ारे हैं, जिनसे कई बार जान-माल का बहुत भारी नुक़सान भी होता रहा है और अब तक यही माना जाता रहा है कि इन सब चीज़ों पर इन्सान का कोई वश भी नहीं है किन्तु अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अब इस बात को पूरी तरह से झूठला दिया है और आसमान से बादलों को ग़ायब करने की दिशा में सफलता हासिल करके एक तरह से प्रकृति को ही ठेंगा दिखानें की कोशिश की है ।

अमेरिका के आंधी विशेषज्ञों ने निछले दिनों आसमान से एक बड़े बादल को ग़ायब करने में सफलता हासिल की और इस सफलता के बाद से यह माना जा रहा है कि इससे जान-माल को नुक़सान पहुंचाने वाली तीव्र आँधियों और तूफ़ान की शक्ति को कम करने की संभावना के रास्ते खुल गये हैं । वैज्ञानिकों ने बादलों को ग़ायब करने का काम पानी सोखने वाले एक विशेष प्रकार के पाउडर 'डाइन ओ जैल' की मदद से किया था ।

वैज्ञानिकों ने इस पाउडर का परीक्षण 1600 मीटर लंबे व 4000 मीटर गहरे एक बादल पर किया था । उन्होंने एक बड़े सैन्य विमान के ज़रिये क़रीब 4 टन 'डाइन ओ जैल' पाउडर का छिड़काव किया और इस पाउडर के छिड़काव की बदौलत उन्होंने बादल की पूरी नमी को सोखकर उसे आसमान से पूरी तरह ग़ायब करने में सफलता हासिल की । बादल ग़ायब करने के इस अभियान में लगभग 4.6 करोड़ रुपये ख़र्च हुए ।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पाउडर तेज़ आँधियों को बल देने वाली नमी को सोखकर उन्हें कमज़ोर करने की विशेष क्षमता रखता है और इस तरह से इससे सैकड़ों लोगों की जान बचायी जा सकती है । वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पाउडर का एक-एक कण अपने वज़न से 2000 गुना अधिक नमी सोखता है और नमी सोखकर यह फूल जाता है तथा पाउडर से जैल में तब्दील हो जाता है । जैल में तब्दील होते ही यह भारी हो जाता है और ज़मीन पर गिरता है । यह पानी में पूरी तरह से घुलनशील है और चूंकि यह पर्यावरण व स्वास्थ्य को किसी तरह का नुक़सान नहीं पहुंचाता, इसलिए इसके धरती पर गिरने से कोई नुक़सान नहीं होता ।

वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह पॉलीमर पाउडर वर्षा में भी मदद करता है और यह वर्षा की छोटी-छोटी बूंदों को इकट्ठा करके इनके वाष्पीकरण को रोकता है । इतना ही नहीं, जल से भरे जैल का उपयोग अग्निशमन जैसे कार्यों के लिए भी किया जा सकता है ।

सही से काम नहीं कर पाते हैं मोटे लोग

इसराईल में हुए एक अध्ययन के दौरान यह रोचक तथ्य सामने आया है कि सामान्य शरीर वाले व्यक्तियों के मुक़ाबले थुलथुले और मोटे शरीर वाले भारी-भरकम व्यक्तियों द्वारा काम के दौरान दुर्घटनाएं करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है । यह अध्ययन इसराईल की एक फैक्ट्री में 4000 से भी ज़्यादा कर्मचारियों पर 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हैल्थ' द्वारा किया गया था । अध्ययन के दौरान अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि ख़तरनाक और जोख़िम भरे कार्यों में मोटे व्यक्तियों द्वारा अपने पतले सहकर्मियों की तुलना में दुर्घटनाएं करने की आशंका 4.6 गुना अधिक रहती है । अध्ययनकर्ता इसकी वजह यही बताते हैं कि सामान्य से ज़्यादा वज़न वाले लोग कम फुर्तीले होते हैं । इतना ही नहीं, काम के दौरान वे पतले लोगों के मुक़ाबले ऊंघते भी बहुत ज़्यादा हैं । इसके अलावा मशीनों के साथ भी वे उचित सामंजस्य नहीं बैठा पाते । ऐसे लोगों द्वारा पतले लोगों के मुक़ाबले सड़क दुर्घटनाएं करने की आशंका भी दो गुना से भी अधिक होती है । अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि ऐसे लोगों के साथ नींद संबंधी दोष का ख़तरा भी बना रहता है । वे कुल पल के लिए सांस लेना भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वे बार-बार उठकर बैठ जाते हैं ।

मुद्रक एवं प्रकाशक ख़लील अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट, गली क़ासिम जान, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से मुद्रित ।
फोन: 011-26949430
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णत: प्रतिबंधित है ।

MADARSA FURQUANIA SOCIETY

KORRASADAT, P.S. : THARYAON, DISTRICT-FATEHPUR-212622

OUR PERFORMANCE

- Running Primary/Junior and High School.
- Running Charitable Craft Centre for Widows.
- Running Shoba-E-Hifz.
- Proposed a Project of Hostel for 100 beds (Boys/Girls) Separate.
- Proposed a Project of Extension of Mosque (Abdullah Masjid).

Please Visit the Society

See our practical and charitable work,
everything open-account charted,
budget for 2011-2012 is about 20 Lacs.
No consideration of color, creed and religion.

SYED MOHIUDDIN AHMAD MADNY
Secretary
Mob. No. : 9308172090
E-mail ID : aslam.madny@gmail.com

Madarsa Furquania Society
Punjab National Bank
A/c No. : 0170000100280667

Pay your contribution to
Madarsa Furquania (FCRA)
Bank of Baroda
A/c No. : 006804-05660100026084
IFSC Code : VARBOFATEHP
Branch Code : FATEHP501 ID-056
MICR Code : 212012002

Posted on 20-21 April 2012
May 2012
E-mail: kantimonthly@hotmail.com
Publishing Date: 18.04.2012

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2012-2014
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2009-11

उदाहरण

चेचक

पोलियो

डिपथेरिया

टोसिलाइटिस

अपेंडिसाइटिस

टेटनस

हेपाटाइटिस

Glaucoma

Encphalitis

Hydrocephalic

Harnia

बीमारियों से पहले दवाओं का प्रयोग करें

क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की उदासीनता या होमियोपैथिक मेडिकल साइंस की जानकारी न होने के कारण हर साल हज़ारों बच्चें अपनी सालगिरह नहीं मना पाते और उनकी बड़ी संख्या अपाहिजों में बदल जाती है, लेकिन अगर हम लोग अपने सोचने और समझने में ज़रा-सा बदलाव लाएं तो यक़ीन जानिये कि होमियोपैथिक मेडिकल साइंस बहुत लाभ पहुंचा सकती है। यही नहीं बल्कि बीमारियों से पहले और उसके बाद भी दवाओं का उपयोग करके बहुत-सी बीमारियों से बचा जा सकता है और मरीज़ों की बहुत बड़ी संख्या में कमी लायी जा सकती है।

संपर्क करें

Dr. Z. H. Khan
B.H.M.S. (BU)
Reg. No. : 28430 (Bihar)
White House Compound,
Road No. 3, Gaya (Bihar)